

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256437 CG-DL-E-16082024-256437 xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-
section (i)

प्राजधकार से प्रकाजित
PUBLISHED BY
AUTHORITY

सं. 463]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त त 14, 2024/श्रावण 23, 1946

No. 463]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नन. 502(अ).—केन्द्रीय सरकार, अपतट क्षेत्र खननज (विकास और विननयमन) अधिनयम, 2002 (2003 का 17) की िारा 35 द्ारा प्रित शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, ननम्रललखखत ननयम बनाती है, अर्ात्:—

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंि.—(1) इन ननयमों का संक्षिप् त नाम अपतट िेत्र खननज (नीलामी) ननयम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रित होंगे।

2. पररिषाएं.—(1) इन ननयमों में, जब तक कक संर्ा से अन्धर्ा अपेक्षक्षत न हो,—

(क) “अधिनयम” से अपतट क्षेत्र खननज (विकास और विननयमन) अधिनयम, 2002 (2003 का 17) अलर्पेत है;

5219 GI/2024 (1)

(ख) “क्षेत्र” का अर्ा िही होगा जो िारा 4 की खंड (ढ) के िीन ‘अपतट क्षेत्रों’ को दिया गया है;

(ग) “खननज ब्लॉक” से अधिनयम के उपबंिों के अनुसार प्रशासकीय प्राधिकारी द्ारा जारी ननविा िस्तािेज में यर्ा विननदिष्ट सक्द्रदहत मानक ब्लॉक सदहत विननदिष्ट ट अक्षांश और विननदिष्ट ट िेशांतर द्ारा पररलक्षक्षत क्षेत्र अलर्पेत है;

(घ) “अपतट खननज विकास और उत्पाि करार” से ननयम 10 के उप- ननयम (5) या ननयम 18 के उप- ननयम (8) में ननदिष्ट करार अलर्पेत है;

(ङ) “अधिमाननत बोली लगाने िाला” से ननयम 9 के उप-ननयम (9) में विननदिष्ट बोली लगाने िाला अलर्पेत है;

(च) “अदहात बोली लगाने िाला” से ननयम 9 के उप-ननयम (8) में विननदिष्ट बोली लगाने िाला अलर्पेत है;

(छ) “आरक्षक्षत कीमत” से ननयम 8 के उप-ननयम (1) में यर्ा ननदिष्ट प्रेवित खननज मूल्य का न्दयूनतम प्रनतशत अलर्पेत है;

(ज) “अनुसूची” से इन ननयमों से उपाबद्ि अनुसूची अलर्पेत है;

(झ) “िारा” से अधिनयम की िारा अलर्पेत है;

(ञ) “प्रनतरूनत ललखखत” से इन ननयमों की अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में िस्तुत: उपबंधित प्ररूप में बैंक प्रत् यार्ूनत, प्रनतरूनत ननक्षेप या केंरीय सरकार, खान मंत्रालय द्ारा यर्ा

विननदिष्ट ऐसे अन्ध ललखतें कजन्द्हें इन ननयमों के अनुसार बोली प्रनतरूनत या संपाणि प्रनतरूनत के रूप में प्रस्तुत ककया गया है, अलर्प्रेत है।

(ट) "सफल बोली लगाने िाला" से ननयम 10 के उप-ननयम (4) या ननयम 18 के उप-ननयम

(3) में ननदिष्ट बोली लगाने िाला अलर्प्रेत है;

(ठ) "तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िाला" से ननयम 9 के उप-ननयम (6) में

विननदिष्ट बोली लगाने िाला अलर्प्रेत है;

(ड) "ननविंिा िस्तांिेज" से ननयम 9 के उप-ननयम (2) में ननदिष्ट नीलामी करने के ललए

प्रशासकीय प्राधिकारी द्िारा जारी ननविंिा िस्तांिेज अलर्प्रेत है;

(ढ) "अधिम संंिाय" से ननयम 11 के उप-ननयम (1) में ननदिष्ट संंिाय अलर्प्रेत है; (ण)

“अनुमाननत संसांिनों का मूल् य” से ननमललखखत के गुणनफल के बराबर रकम अलर्प्रेत है,—

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रांिपत्र : असाधारण3

(i) खननज संसांिनों की अनुमाननत मात्रा कजसके ललए खननज ब्लॉक की नीलामी की जा रही है, मीदिक टन में अलर्व्यतत की गई; और

(ii) अनुमाननत संसांिनों के मूल् य की संगणना के मास से ठीक पूंिांिती बारह मास की अधि के ललए र्ारतीय खान ब्यूरो द्िारा प्रकालशत ऐसे खननज या

खननज िेड का प्रनत मीदिक टन औसत कीमत:

परंतु यह कक यदि ककसी खननज या खननज िेड के ललए ककसी

मास की औसत विक्रय कीमत र्ारतीय खान ब्यूरो द्िारा प्रकालशत नहीं की

जाती है, तो ऐसे खननज या खननज िेड के ललए प्रकालशत नीनतम मास की

औसत विक्रय कीमत उतत मास की औसत विक्रय कीमत मानी जाएगी, कजसके ललए

औसत विक्रय कीमत प्रकालशत नहीं की गई है:

परंतु यह और कक यदि ककसी खननज या खननज िेड के ललए पूंिांिती बारह मास की संपूणा अधि के ललए औसत विक्रय कीमत प्रकालशत नहीं की जाती है, तो ऐसे खननज या खननज िेड के ललए औसत विक्रय कीमत र्ारतीय खान

ब्यूरो के द्िारा विननदिष्ट अनुसार होगी; और

(त) "प्रेवित खननज का मूल् य" का शब् ि ननयम 8 के उपननयम (2) में विननदिष्ट होगा। (2)

इन ननयमों में प्रयुतत शब्ि और अलर्व्यक्ततयां ककन्द्तु इसमें पररर्ावित नहीं हैं, का िही

अर्ा होगा जो अधिननयम या उसके आिन बनाए गए ननयमों में उन्द्हें दिया गया है।

3. लागू होना.— ये ननयम ननमललखखत के भसवाय सी खननजों पर लागू होंगे,—

(i) िारा 3 की उपिारा (1) में वखणित खननज तेल और हाइड्रोकार्िन;

(ii) खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली

अनुसूची के र्ाग ख में केंरीय सरकार द्िारा समय-समय पर यर्ा अधिसूधचत

प्रारंलर्क मूल् य के बराबर या उससे अधिक िेड िाले विननदिष्ट खननज।

4. संक्रिया अधिकार अनुदत् त करना.— (1) जहां ककसी िेत्र में खननज संसांिनों की

ववद्यमानता अपतट िेत्र (खननज संसांिनों की ववद्यमानता) ननयम, 2024 में यथा ववननर्दिष्ट

स् थावपत की गई है, वहां उत्पादन पट्टा इन ननयमों के अध्याय-2 के आिन ववननर्दिष्ट रीनत से

अनुदत् त ककया जाएगा।

(2) ककसी क्षेत्र के संबंि में संयुतत अनुज्ञक्तत, जहां अपतट क्षेत्र (खननज संसांिनों की

ववद्यमानता) ननयम, 2024 के ननयम 5 में विननदिष्ट अपेक्षाओं का समांिान ककया

गया है, इन ननयमों के अध्याय 3 के आिन विननदिष्ट रीनत में अनुित् त की

जाएगी।

अध्याय 2

उत्पादन पट्टा अनुदत्त करना

5. उत्पादन पट्टे की नीलामी के भलए पूर्वापेक्षाएँ—(1) प्रशासनिक प्राधिकरण, क्रकसी क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र में उत्पादन पट्टा अनुदत्त करने के भलए नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर सकता है,

यदि ऐसे क्षेत्र में खननज संसाधनों की व्यवस्थितता अपतट क्षेत्र (खननज संसाधनों की व्यवस्थितता) ननयम, 2024 के उपरिष्ठों के अनुसार स्थापित की गई है।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्वाानुमोति से तर्का खननज ननलामी के संबंध में ननविधि आमंत्रण नोटिस जारी करने से पूर्वा ऐसे खननज ब्लॉक की पहचान करेगा, कजसके ललए ऐसे खननज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और िंशांतर को विननदिष्ट करने के द्वारा

नीलामी के माध्यम से उत्पादिन पट्टा अनुदत्त ककया जाना प्रस्तावित है। 6. उत्पादन पट्टे के

भलए पात्रता.— (1) उत्पादिन पट्टे की नीलामी में र्ग लेने के प्रयोजन के ललए, आिेिक को िारा 6 में यर्ा विननदिष्ट अपेक्षाओं तर्ा अनुसूची-1 में यर्ा विननदिष्ट पात्रता की ननबंदिन और शर्तों को पूरा करना।

(2) सफल बोली लगाने िाला पर विननश्चय ननविधि िस्तािेजों की ननबंदिन और शर्तों के सार् पदठत अनुसूची-1 में विननदिष्ट पात्रता शर्तों को पूरा करने िाले बोली लगाने िालों द्वारा प्रस्तुत वितीय बोललयों के आार पर ही ललया जाएगा।

(3) कोई बोली लगाने िाला ककसी खननज ब्लॉक की नीलामी में केिल एक बोली लगाएगा तर्ा बोली लगाने िाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में कोई बोली लगाएगा, जहां ऐसे बोली लगाने िाले ने बोली लागाई है।

(4) बोली लगाने िाले द्वारा ककसी खननज ब्लॉक की नीलामी में एक से अधिक बोललयों लगाता है या ककसी बोली लगाने िाले का कोई सहयोगी उसी नीलामी में बोली लगाता है, जहां ऐसे बोली लगाने िाले ने बोली लागायी है, उस िशा में बोली लगाने िाले तर्ा उसके सहयोगी द्वारा लागायी गई बोललयों अस्िीकृत कर िी जाएंगी।

स्पष्टीकरण.— इस ननयम के प्रयोजन के ललए,—

(i) बोली लगाने िाले के संबंध में "सहयोगी" से ऐसा व्यक्तत अलर्प्रेत होगा, जो,-

(क) ऐसे बोली लगाने िाले को ननयंत्रत करता है;

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

5

(ख) ऐसे बोली लगाने िाले द्वारा ननयंत्रत है;

(ग) ऐसे बोली लगाने िाले के सार् सामान्य ननयंत्रण में है;

(घ) बोली लगाने िाले की सहयुत त कंपनी है; या

(ङ) ऐसे बोली लगाने िाला की समनुिंगी कंपनी है।

(ii) "सहयुत त कंपनी", "ननयंत्रण" और " समनुिंगी कंपनी" िों का िही अर्ा होगा जो कंपनी अधिननयम, 2013 (2013 का 18) में उन्द्हे दिया गया है।

7. इलेक्ट्रॉनिक नीलामी.— (1) नीलामी, ऑनलाइन इलेतिॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से ही संचालित की जाएगी।

(2) प्रशासनिक प्राधिकरण ककसी ऑनलाइन इलेतिॉनिक नीलामी मंच का उपयोग कर सकता है जो र्ारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्यौधगकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्यौधगकी

विर्ाग, मानकीकरण परीक्षण और गुणित्ता प्रमाणन ननिशालय द्वारा जारी ई-खरीि प्रणाललयों की गुणित्ता अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु मागािशक लसदिंांतों में

यर्ा विननदिष्ट न्दयूनतम

तकनीकी और

प्रनतरूनत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

8. र्ोली लगाने के मापदंड.— (1) प्रशासननक प्राधिकरण ननववदा दस्तावेज में प्रेषत क्रकए गए खननज के मूल्य का न्यूनतम प्रनतशत ववननर्दिष्ट करेगा, जजसे "आरक्षित मूल्य" के रूप में जाना जाएगा। (2) प्रेषित खननज का मूल्य, ननमूललखखत के गुणनफल की बराबर रकम होगा,—

(क) एक मास में प्रेषित खननज; और

(ख) ऐसे प्रेषित मास के ललए र्ारतीय खान ब्यूरो द्ारा यर्ा प्रकालशत खननज विक्रय मूल्य (डिंड-ार)।

(3) बोली लगाने ाला, बोली मानिंड के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को संाय के प्रयोजन के ललए, प्रेषित खननज मूल्य का प्रनतशत आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक उद्ित करेंगे तर्ा सफल बोली लगाने ाला, केन्द्रीय सरकार को ननमूललखखत के गुणनफल की बराबर रकम का संाय करेगा,—

(क) उद्ित प्रनतशत; और

(ख) प्रेषित खननज का मूल्य।

(4) जहां ककसी क्षेत्र की एक से अधिक खननजों के ललए नीलामी की जा रही है, िहां उप-ननयम (3) के िन सफल बोली लगाने ाले द्ारा यर्ा उद्ित प्रेषित खननज के मूल्य का प्रनतशत, ऐसे प्रत्येक खननज के संबंि में केन्द्रीय सरकार को संाय के प्रयोजन के ललए लागू होगा।

(5) यदि उत्पािन पट्टा अनुित करने के पश्चात् एक या एक से अधिक नए खननजों की खोज की जाती है, तो उप-ननयम (3) के िन सफल बोली लगाने ाले द्ारा उद्ित ककए गए अनुसार प्रेषित खननज

के मूल्य का प्रनतशत ऐसे प्रत्येक खननज के संबंि में केन्द्रीय सरकार को संाय के प्रयोजन के ललए लागू होगा:

परंतु यह कक यदि तत्पश्चात् खोजे गए खननज, खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के र्ाग घ या सातिं अनुसूची में विननदिष्ट खननज हैं, तो उप-ननयम (3) के िन सफल बोली लगाने ाले द्ारा उद्ित ककए गए अनुसार प्रेषित खननज के मूल्य के प्रनतशत का िस प्रनतशत ऐसे प्रत्येक खननज के संबंि में केन्द्रीय सरकार को संाय के प्रयोजन के ललए लागू होगा।

9. र्ोली प्रक्रिया.—(1) ननयम 5 के उपर्ो के िन, प्रशासननक प्राधिकरण नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के भलए ननववदा आमंत्रत करने के भलए एक नोर्टस जारी करेगा जो उनकी वेर्साइट पर र्ी होगा और इस तरह के नोर्टस में नीलामी के िन खननज ब्लॉक के बारे में संक्षक्षत विलशक्ष टयां अंतविष् ट होंगी, कजसमें ननमूललखखत शालमल हैं,—

(क) खननज ब्लॉक, कजसके ललए ऐसे खननज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और िंशांतर को विननदिष्ट करके नीलामी के माध्यम से उत्पािन पट्टा अनुित करने का प्रस्ताि है की विलशक्ष टयां;

(ख) अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के उपर्ो के अनुसार गिण के िौरान खननज ब्लॉक में खोजे गए सर्ी खननजों के संबंि में अनुमाननत खननज संसाि और खननज संसािनों की विद्यमानता की संक्षक्षत विलशक्ष टयां।

(2) प्रशासननक प्राधिकरण द्ारा जारी ननविंा िस्तांिेज में ननमूललखखत अंतविष् ट होंगे,—

(क)

अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार

र्ूिंज्ञाननक ररपोटा कजसमें खननज ब्लॉक में खोजे गए सर्ी खननजों की विलशक्ष टयां और अनुमाननत मात्रा विननदिष्ट की गई हैं;

- (ख) खननज ब्लॉक की विलशक्ष टयां, जो ऐसे खननज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और िंशांतर को विननदिष्ट करके पहचाने जाते हैं; और
- (ग) ककसी र्ी सरकारी प्राधिकरण द्ारा अनुित् त ककए गए ककसी र्ी अनुज्ञक्त त या पट्टे की विलशक्ष टयां, कजसमें पेिलोललयम और प्राकृतक गैस या पिन ऊजाा पररयोजना, या नीलामी के समय खननज ब्लॉक में विद्यमान बंरिगाह, केबल, पाइपलाइन जैसी असंरचना पररयोजनाएं शालमल हैं।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपित्र : असाधारण

7

(3) बोली लगाने िालाओं को ननवििा िस्तािेज और ऐसी ररपोटों का अध्ययन करने के ललए ननवििा िस्तािेज में यर्ा विननदिष्ट एक ननयत अधि अनुित् त की जाएगी और बोली प्रकक्रया ऐसी अधि के अिसान पर शुरू होगी।

(4) नीलामी, एक आरोही अकन ऑनलाइन इलेतिंननक नीलामी होगी और इसमें नीलामी के प्रयास शालमल होंगे, कजसमें नीलामी का प्रत्येक प्रयास नीलामी के पहले िौर और नीलामी के िूसरे िौर से लमलकर बनेगा।

(5) नीलामी के पहले िौर में, बोली लगाने िाले ननमललखखत प्रस्तुत करेंगे,—

(क)

तकनीकी बोली कजसमें अन्ध बातों के सार्, नीलामी में र्ाग लेने के ललए अधिननयम और उसके अीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों के अनुसार पात्रता की पुष्ट करने के ललए िस्तािेजी साक्ष्य, बोली प्रनतरूनत और ऐसे अन्ध िस्तािेज और संिाय शालमल होंगे जो ननवििा िस्तािेज में विननदिष्ट ककए जा सकते हैं; और

(ख) एक प्रारंलर्क मूल् य प्रस्ताि जो प्रेवित खननज के मूल् य का एक प्रनतशत होगा:

परंतु यह कक बोली प्रनतरूनत अनुमाननत संसािों के मूल् य के 0.25 प्रनतशत या िस करोड़ रुपये, जो र्ी कम हो, के बराबर रकम के ललए होगी, और इसे प्रनतरूनत ललखत के माध्यम से प्रस्तुत ककया जाएगा:

परंतु यह और कक इस प्रकार के ननक्षेपों िाले ऐसे खननज ब्लॉक, कजनके खननज संसािों की अनुमाननत मात्रा का ननयम 2 के उप-ननयम (1) के खंड (ण) के अीन अनुमाननत संसािों के मूल् य की गणना हेतु ननारण करना संर्ि नहीं है लेककन खननज ब्लॉक की खननज क्षमता की पहचान विद्यमान रूविज्ञान डेटा के आार पर की गई है, के ललए संयुतत अनुज्ञक्तत अनुित् त करने हेतु नीलामी में बोली प्रनतरूनत प्रनत मानक ब्लॉक पांच लाख रुपए होगी:

परंतु यह र्ी कक अपतट क्षेत्र (खननज संसािों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के ननयम 5 के उप-ननयम (2) के अीन ककसी व्यक्तत द्ारा प्रस्तावित क्षेत्र को संयुतत अनुज्ञक्तत अनुित् त करने के ललए नीलामी के ललए रखे जाने की िशा में, ऐसे व्यक्तत के ललए उतत क्षेत्र के ललए नीलामी में र्ाग लेने के ललए इस खंड में विननदिष्ट रकम का केिल पचास प्रनतशत बोली प्रनतरूनत प्रस्तुत करना अपेक्षक्त होगा।

(6) केिल उन बोली लगाने िाले जो ननयम 6 में विननदिष्ट पात्रता की ननबंिन और शतों के अनुसार पात्र पाए जाते हैं और कजनका आरंलर्क मूल् य प्रस्ताि आरक्षक्त मूल् य के बराबर या उससे अधिक है, कजन्हें "तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िाला" कहा गया है, नीलामी के िूसरे िौर के ललए विचार ककया जाएगा।

(7) तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िालों के बीच उच्चतर आरंलर्क मूल् य प्रस्ताि

ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर के ललए न्दयूनतम मूल्य होगा।
 (8) तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाले को उनके द्वारा प्रस्तुत आरोही आरंलर्क मूल्य प्रस्ताि के आार पर श्रेणीबद्ध ककया जाएगा और तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाले जो प्रर्म पचास प्रनतशत रैंक (ककसी री अंश को उच्चतर पूणांक में पूणांककत करके) रखते हैं या शीा पांच तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाले, जो री अधिक हो, इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के दूसरे दौर में राग लेने के ललए अदहात बोली लगाने ाले के रूप में अहाता प्रातत करेंगे:
 परंतु यह कक यदि तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ालों की संख्या तीन से पांच के बीच है, तो तकनीकी रूप से अदहात सर्ी बोली लगाने ालों को अदहात बोली लगाने ालों के रूप में माना जाएगा:
 परंतुक यह और री कक िो या अधिक तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ालों द्वारा समान आरंलर्क मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत ककए जाने की वसूनत में, सर्ी ऐसे तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ालों को अदहात बोली लगाने ालों के ननारण के प्रयोजनों के ललए समान रैंक िी जाएगी और ऐसी िशा में, पूोत त पचास प्रनतशत को पहले पचास प्रनतशत के रीतर होने ाली बराबरी की सीमा तक बढाया जाएगा।

दृष्टांत

यदि कायाक्रम में तकनीकी रूप से अदहात कुल िस बोली लगाने ाले हैं, और तकनीकी रूप से अदहात प्रत्येक बोली लगाने ाले अलग-अलग आरंलर्क मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत करता है, तो पहले पचास प्रनतशत रैंक रखने ाले तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ालों को अदहात बोली लगाने ाला माना जाएगा।
 यदि ऐसे तकनीकी रूप से अदहात तीन बोली लगाने ाले एक ही आरंलर्क मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत करते हैं और कुल रैंक की संख्या के पहले पचास प्रनतशत में रैंक ककए जाते हैं, तो तकनीकी रूप से अदहात सर्ी तीन बोली लगाने ालों को अदहात बोली लगाने ाला माना जाएगा और अदहात बोली लगाने ालों की कुल संख्या में िो की वृद्धि होगी।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का णिपत्र : असाधारण

9

(9) जहां तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाला की कुल संख्या तीन या उससे अधिक है, नीलामी प्रकक्रया नीलामी के दूसरे दौर में आगे बढेगी जो ननमललखखत तरीके से की जाएगी, अर्ातः—
 (क) अदहात बोली लगाने ाला अपना अनंतम मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत कर सकता जो रेंजे गए खननज मूल्य का प्रनतशत होगा और न्दयूनतम मूल्य से अधिक होगा: परंतु यह कक नीलामी मंच के तकनीकी विननिशों के अनुसार नीलामी के समापन तक अनंतम मूल्य प्रस्ताि को पुनरीक्षकत ककया जा सकता है;
 (ख) यदि अदहात बोली लगाने ालों में से कोई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच पर अनंतम मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत नहीं करता है, तो नीलामी प्रकक्रया बानतल कर िी जाएगी;
 (ग) उच्चतर अनंतम मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत करने ाले अदहात बोली लगाने ालों को, केंरीय सरकार से अनुमोिन प्रातत होने के आिन, नीलामी समातत होते ही "अधिमाननत बोली लगाने ाला" घोवित ककया जाएगा।

(10) जहां तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाले की कुल संख्या तीन से कम है, तो कोई री तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने ाला अदहात बोली लगाने ाला नहीं माना

जाएगा और नीलामी का पहला प्रयास बानतल कर दिया जाएगा।

(11) नीलामी के पहले प्रयास के बानतल होने पर, प्रशासननक प्राधिकरण ननम्रललखखत पर ननणाय ले सकता है, -

(क) ननबंिन और शतों के एक अलग सेट और आरक्षक्षत मूल्य के सार् नीलामी प्रकक्रया को नए लसरे से शुरू करना, जैसा िह उधचत और आिश्यक समझे; या

(ख) नीलामी का िूसरा प्रयास संचाललत करना।

(12) यदि प्रशासननक प्राधिकरण उपननयम (11) के खंड (ख) के अनुसार नीलामी का िूसरा प्रयास संचाललत करने का विननश् चय करता है, तो नीलामी के िूसरे प्रयास की ननबंिन और शतें िही रहेंगी जो नीलामी के पहले बानतल प्रयास में र्ीं:

परंतु यह कक पहले ननरस्त प्रयास में तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िाले (यदि कोई हो) द्िारा दिया गया उच्चतर आरंलर्क मूल्य िूसरे प्रयास के पहले िौर में आरक्षक्षत मूल्य होगा:

परंतु यह और कक तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िालों की संख्या तीन से कम होने की िशा में तकनीकी रूप से अदहात बोली लगाने िालों एक होने की िशा में र्ी बोली िूसरे िौर में जारी रहेगी।

(13) नीलामी के िूसरे प्रयास के बानतल होने या असफल होने पर प्रशासननक प्राधिकरण, केंरीय सरकार का अनुमोिन प्रातत करने के पश्चात्, ननबंिन और शतों के पृर्क सेट तर्ा आरक्षक्षत मूल्य के सार्, जैसा िह आिश्यक समझे, नीलामी प्रकक्रया को नए लसरे से प्रारंर कर सकता है।

10. उत्पादन पट्टा अनुदत् त करना.— (1) अधिमाननत र्ोली लगाने वाला अधिमाननत र्ोली लगाने वाले के रूप में घोवषत क्रकए जाने के पश्चात् पंद्रह र्दनों के िीतर ननयम 11 के अनुसार अधिम संदाय की पहली क्रकस्त प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कक प्रशासननक प्राधिकरण कारणों को लेखबद्ि करके अगले पंरह दिनों तक पंरह दिनों की अधि बढ़ा सकता है।

(2) अधिमाननत बोली लगाने िाले द्िारा उप-ननयम (1) में विननदिष्ट अधि या विस्ताररत अधि के र्ीतर अधिम रकम की पहली ककस्त प्रस्तुत करने में विफल रहने की िशा में है, प्रशासननक प्राधिकरण ननम्रललखखत काया करेगा,—

(क) अधिमाननत बोली लगाने िाले की बोली प्रनतरूनत जब्त कर लेगा; और

(ख) उस बोली लगाने िाले को प्रस्ताि िेगा कजसने उच्चतर अंनतम मूल्य य प्रस्ताि को पूरा करने के ललए नीलामी के िूसरे िौर में िूसरा सबसे अधिक मूल्य प्रस्ताि प्रस्तुत

ककया र्ा और यदि उतत बोली लगाने िाला ललखखत रूप में उतत प्रस्ताि

से सहमत हो जाता है और प्रस्ताि प्रातत होने के पंरह दिनों के र्ीतर अधिम रकम की पहली ककस्त जमा कर िेता है, तो प्रशासननक प्राधिकरण, केंरीय सरकार से अनुमोिन प्रातत होने के आिन, उतत बोली लगाने िाले को अधिमाननत बोली लगाने िाला घोवित करेगा और उप-ननयम (3) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगा:

परंतु कक प्रशासननक प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्ि करके, इस खंड में विननदिष्ट पंरह दिनों की अधि को और पंरह दिनों तक बढ़ा सकता है।

(3) अधिम संिाय की पहली ककस्त प्रातत होने पर, प्रशासननक प्राधिकारी अधिम संिाय की पहली ककस्त प्रातत होने के पंरह दिनों के र्ीतर अधिमाननत बोली लगाने िाले को आशय पत्र जारी करेगा।

(4) अधिमाननत बोली लगाने िाले को "सफल बोली लगाने िाला" माना जाएगा, बशते कक,—

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

11

- (क) पात्रता के सर्ी ननबंिनों और शतों का अनुपालन करना जारी रखना;
- (ख) अधिम संिाय की िूसरी ककस्त का संिाय करना;
- (ग) ननयम 12 में यर्ा विननदिष्ट संपािनि प्रनतरूनत प्रस्तुत करना;
- (घ) उत्पािनि योजना के संबंि में अधिननयम के िीन बनाए गए ननयमों में विननदिष्ट शतों का समािान करना; और
- (ङ) ऐसी अन्ध शतों का समािान करना जो केंरीय सरकार के पूिाानुमोिनि से प्रशासननक प्राधिकरण द्िारा विननदिष्ट की जाए।
- (5) सफल बोली लगाने िाला उत्पािनि प्रचालन शुरू करने के ललए लागू विधियों के िीन यर्ा अपेक्षक्षत सर्ी सहमनत, अनुमोिनि, परलमट, अनापवत्त आदि अलप्रातत करने के पश् चात केंरीय सरकार के सार् अपतट खननज विकास और उत्पािनि करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- (6) सफल बोली लगाने िाला अपतट खननज विकास और उत्पािनि करार के ननष्पािनि के पश् चात् अधिम संिाय की तीसरी ककस्त का संिाय करेगा और ऐसे संिाय के पश् चात् केंद्र रीय सरकार सफल बोली लगाने िाला को उत्पािनि पट्टा प्रिान करेगी।
- (7) उत्पािनि पट्टा विलेख उप-ननयम (6) में विननदिष्ट शतों के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों के रीतर केंरीय सरकार द्िारा ननष्पादित ककया जाएगा और यह अधिननयम और उसके िीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों के िीन होगा:
- परंतु यह कक आशय पत्र की तारीख से तीन ििा की िधि के िसान पर कोई उत्पािनि पट्टा विलेख ननष्पादित नहीं ककया जाएगा, और आशय पत्र को िविधिमान्द य कर दिया जाएगा, कजससे नीलामी की पूरी प्रकक्रया बानतल हो जाएगी:
- परंतु यह और कक यदि विलंब के कारण अधिमाननत बोली लगाने िाले के ननयंत्रण से परे रे, तो प्रशासननक प्राधिकरण केंरीय सरकार के अनुमोिनि से उत्पािनि पट्टा विलेख के ननष्पािनि के ललए िो ििा की और िधि अनुज्ञात कर सकता है।
- (8) आशय पत्र िारक को उपननयम (7) में विननदिष्ट िधि के रीतर उत्पािनि पट्टा विलेख ननष्पादित करने के ललए सर्ी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, ऐसा न करने पर, आशय पत्र ननरस्त कर दिया जाएगा और यर्ा क्स् र्नत बोली प्रनतरूनत या संपािनि प्रनतरूनत, बोली लगाने िाले, तर्ा अधिम संिाय की कोई री ककस्त जब्त कर ली जाएगी, तर्ा अधिमाननत बोली लगाने िाले या सफल बोली लगाने िाले को इन ननयमों के उपबंिों के िीन ियोक्जत विष्य में की जाने िाली खननज ब्लॉकों की नीलामी में र्ाग लेने से केंरीय सरकार द्िारा ऐसे ननिि की तारीख से तीन ििा के ललए रोक दिया जा सकता है।
- (9) उत्पािनि पट्टा, नीलामी से पूिा गििण के अनुसरण में खननज ब्लॉक में पाए गए खननजों के ललए होगा:
- परंतु कक जहां, नीलामी के पश्चात्, एक या िधिक नए खननजों की खोज की जाती है, तो उत्पािनि पट्टा िारक ऐसे नए खननज को उत्पािनि पट्टा विलेख में शालमल करने के ललए अधिननयम के िीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों का पालन करेगा। (10) तारीख पर सम् यक रूप से ननष्पादित उत्पािनि पट्टा विलेख रक्जस् िीकृत ककया जाता है, ििह उत्पािनि पट्टा प्रारंर् होने की नतधर् होगी।

- 11. उत्पादन पट्टे के भलए अधिम संदाय.—**(1) (i) अनुमाननत संसािनों के मूल्य का 0.25 प्रनतशत; (ii) पचास करोड़ रुपये के बराबर रकम, न्द्यूनतम रकम अधिम संिाय होगा।
(2) अधिम संिाय केंरीय सरकार को ननवििा िस्तािेज के विननदिष्ट अनुसार िस प्रनतशत; िस प्रनतशत; और अस्सी प्रनतशत की तीन ककस्तों में संिेय होगा और ननवििा िस्तािेज में यर्ा विननदिष्ट खननज का उत्पािनि शुरू होने पर ननयम 8 के उप-ननयम (3) के िीन संिाय की जाने िाली रकम के ललए जल्ि से जल्ि पूणा रूप से समायोजित ककया जाएगा।
- 12. उत्पादन पट्टे के भलए संपादन प्रनतिनत.—**(1) अधिमाननत बोली लगाने िाला ननम्र में से जो कम हो, प्रनतरूनत ललखत के माध्यम से संपािनि प्रनतरूनत अनुित्त करेगा: (i) अनुमाननत संसािनों के मूल्य का 0.50 प्रनतशत; (ii) एक सौ करोड़ रुपये। ऐसी संपािनि प्रनतरूनत को प्रत्येक पांच ििा में समायोजित ककया जाएगा ताकक यह अपेक्षित रकम (अर्ात् अनुमाननत संसािनों के पुनःननाररत मूल्य का यर्ाक्स् र्त 0.50 प्रनतशत या एक सौ करोड़ रुपए) के अनुरूप बनी रहे, कजसमें ककसी र्ी नए खोजे गए खननज का मूल्य शालमल है, कजसे इसकी खोज पर उत्पािनि पट्टा विलेख में शालमल ककया जा सकता है:
परंतुक कक पुनःननारण पर समायोजित संपािनि प्रनतरूनत, हमेशा प्रनत मानक ब्लॉक एक करोड़ रुपए से कम नहीं होगी।
(2) काया-ननष्पािनि प्रनतरूनत को ननम्रललखत के उपबंिों के अनुसार लागू ककया जा सकता है,—
(i) अपतट खननज विकास और उत्पािनि करार; और
(ii) उत्पािनि पट्टा विलेख।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का र्िपत्र : असाधारण

13

- 13. उत्पादन पट्टे के िीन संदाय.—**(1) पट्टेिार केन्द्रीय सरकार को अधिननयम और उसके िीन बनाए गए ननयमों में यर्ा विननदिष्ट िारा 16 के अनुसार रॉयल्टी और िारा 17 के अनुसार ननयत ककराये का संिाय करेगा।
(2) पट्टेिार केन्द्रीय सरकार को ननयम 8 के िीन उद्ित लागूरकम का मालसक आार पर संिाय करेगा।
(3) पट्टेिार अधिननयम के िीन अपेक्षित रकम का अंशान,—
(क) अपतट क्षेत्र खननज न्दास के अलर्दहत खाते में करेगा; और
(ख) िारा 18 के अनुसार अंतराष्िीय समुरतल प्राधिकरण के ललए अंशान हेतु केन्द्रीय सरकार के अलर्दहत खाते में करेगा।
(4) पट्टेिार संबंधित प्राधिकारयों को तत् समय प्रित विधि के िीन अपेक्षित ऐसी अन्ध रकम का र्ी संिाय करेगा।

- 14. ब्याज का संदाय.—**यर्ाक्स् र्त, पट्टेिार या अधिमाननत बोली लगाने िाला या सफल बोली लगाने िाला, इन ननयमों के िीन केन्द्रीय सरकार को संिेय ककसी र्ी संिाय पर बारह प्रनतशत प्रनत ििा की िर से सािारण ब्याज का संिाय करेगा, कजसका संिाय उसकी िेय तारीख से परे विलंत्रबत है।

- 15. समयावधि.-** ननयम 10 से 14 के अनुपालन की समयाधि ननवििा िस्तािेज के विननिशानुसार होगी।

अध्याय 3

संयुक्त अनुज्ञजप्त अनुदत्त करना

- 16. संयुक्त अनुज्ञजप्त की नीलामी के भलए पूर्वापेिाँ.—**(1) प्रशासनक प्राधिकरण िारा 12 और इस अध्याय के अनुसार ककसी क्षेत्र के संबंि में संयुतत अनुज्ञक्तत

अनुत्त करने हेतु नीलामी प्रकक्रया कक अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की की अनुपालना की गई हो।

आरं कर सकता है, इस शता के अीन रहते हुए यह विद्यमानता) ननयम, 2024 के ननयम 5 की अपेक्षाओं

(2) प्रशासननक प्राधिकरण नीलामी के संबंि में ननविंि आमंत्रण सूचना जारी करने से पहले और केन्द्रीय सरकार के पूंिानुमोिन से, ऐसे खननज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और िंशांतर को विननदिष्ट करके ऐसे खननज ब्लॉक की पहचान करेगा कजसके ललए नीलामी के माध्यम से संयुतत अनुज्ञक्तत अनुत्त करने का प्रस्ताि है।

17. संयुक्त अनुज्ञप्त के भलए नीलामी.—(1) ननयम 6 से 9 में यर्ा विननदिष्ट पात्रता शतें और नीलामी प्रकक्रया, संयुतत अनुज्ञक्तत अनुत्त करने के ललए नीलामी संचाललत करने हेतु ननमललखखत के अीन लागू होगी, अर्ाातः—

(क) प्रशासननक प्राधिकरण ननयम 16 की अनुपालना के अीन, नीलामी प्रकक्रया शुरू करने के ललए अपनी ेबसाइट पर ननविंि आमंत्रत्रत करने सदहत नोदटस जारी करेगा और ऐसी सूचना में नीलामी के अीन क्षेत्र के बारे में संक्षक्तत विलशक्ष टयां शालमल होंगी, कजसमें शालमल हैं,—

(i) खननज ब्लॉक अनुत्त त कजसके ललए नीलामी के माध्यम से ऐसे खननज ब्लॉक के सीमा कोण के अक्षांश और िंशांतर को विननदिष्ट करके संयुतत अनुज्ञक्तत अनुत्त करने का प्रस्ताि है;

(ii) अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार गिंण के िौरान खननज ब्लॉक में खननज संसािनों की विद्यमानता के बारे में संक्षक्तत विलशक्ष टयां अनुमाननत खननज संसािन; और

(ख) प्रशासननक प्राधिकरण द्ारा जारी ननविंि िस्तािेज में ननमललखखत को विननदिष्ट करते हुए रूिंज्ञाननक ररपोटा अंतविष् ट होगी:

(i) अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार गिंण के िौरान क्षेत्र में खोजे गए सर्ी खननजों की विलशक्ष टयां और अनुमाननत मात्रा;

(ii) पररलक्षक्त क्षेत्र का विरिण; और

(iii) ककसी सरकारी प्राधिकरण द्ारा प्रित्त ककसी अनुज्ञक्तत या पट्टे की विलशक्ष कजसमें पेिललयम और प्राकृनतक गैस या पिन ऊजाा पररयोजना, या नीलामी के समय खननज ब्लॉक में विद्यमान बंरिगाह, केबल, पाइपलाइन जैसी कोई बुननयािी ढांचा पररयोजना शालमल है।

18. संयुक्त अनुज्ञप्त अनुदत् त करना.—(1) नीलामी प्रकक्रया पूरी होने पर, अधिमाननत बोली लगाने िाला अधिमाननत बोली लगाने िाला घोवित होने के पश्चात् पंरह दिनों के रीतर ननयम 19 के उप-ननयम (1) में विननदिष्ट तरीके से संपािन प्रनतरूनत प्रस्तुत करेगा और ऐसी संपािन प्रनतरूनत प्रातत होने पर, प्रशासननक प्राधिकरण संपािन प्रनतरूनत प्रातत होने के पंरह दिनों के रीतर अधिमाननत बोली लगाने िाला को आशय पत्र जारी करेगा:

परंतुक यह कक प्रशासननक प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ि करके संपािन प्रनतरूनत प्रस्तुत करने के ललए पंरह दिनों की अधि को और पंरह दिनों तक बढा सकता है।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रपिपत्र : असाधारण

15

(2) यदि अधिमाननत बोली लगाने िाला उप-ननयम (1) में विननदिष्ट अधि या विस्ताररत अधि के रीतर संपािन प्रनतरूनत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो प्रशासननक प्राधिकरण,—

(क) अधिमाननत बोली लगाने िाले की बोली प्रनतरूनत जब्त कर लेगा; और

(ख) बोली लगाने िाला, कजसने उच्चतम अंनतम मूल्य प्रस्ताि को पूरा करने के ललए

नीलामी के ठीक सरे ठौर में ठीक सरा उच्चतम मूल्य प्रस्तां प्रस्तुत ककया र्ा, को प्रस्तां ठेगा और यदि उतत बोली लगाने ाला ललखखत रूप में उतत प्रस्तां से सहमत है और प्रस्तां प्रातत होने के पंरह दिनों के र्ीतर संपांन प्रनतरूनत जमा कर िेता है, तो प्रशासननक प्राधिकरण, केंरीय सरकार से अनुमोंन प्रातत करने पर उतत बोली लगाने ाले को अधिमाननत बोली लगाने ाला घोवित करेगा और उप-ननयम (1) के अनुसार आशय पत्र जारी करेगा:

परंतुक कक प्रशासननक प्राधिकरण, कारणों को लेखबद्धि करके, पंरह दिनों की अधि को और पंरह दिनों तक बढ़ा सकता है।

(3) आशय पत्र प्रातत होने पर अधिमाननत बोली लगाने ाले को ननम्रललखखत शतों को पूरा करने पर "सफल बोली लगाने ाला" माना जाएगा, अर्ांतः-

(क) पात्रता के सर्ी ननबंनों और शतों का अनुपालन;

(ख) गिंण संकक्रयाओं के प्रारंर् के ललए लागू विधियों के अीन यर्ा अपेक्षक्षत सर्ी सहमनत, अनुमोंन, परलमट, अनापवत्त आदि प्रातत करना; और

(ग) गिंण योजना प्रस्तुत करना।

(4) उप-ननयम (3) में विननदिष्ट शतों को पूरा करने पर, केन्द्रीय सरकार सफल बोली लगाने ाले को संयुतत अनुज्ञक्तत अनुत्त करेगी और ये संयुतत अनुज्ञक्तत अधिननयम और उसके अीन बनाए गए ननयमों के उपबंों के अीन होगी, जैसा कक संयुतत अनुज्ञक्तत और उत्पांन पट्टे पर लागू होती है: परंतुक यह कक आशय पत्र की तारीख से एक िंा की अधि की समाक्तत पर, यदि कोई गिंण

अनुज्ञक्तत/संयुतत अनुज्ञक्तत विलेख ननष्पादित नहीं ककया जाता है, तो

आशय पत्र अविधिमान्द य हो जाएगा, क्जससे नीलामी की पूरी प्रकक्रया बानतल हो जाएगी:

परंतुक कक यदि विलम्ब के कारण अधिमाननत बोली लगाने ाले के ननयंत्रण से परे रे,

तो प्रशासननक प्राधिकरण गिंण अनुज्ञक्तत संयुतत अनुज्ञक्तत विलेख के ननष्पांन के ललए छह मास की और अधि की अनुमनत िे सकता है।

(5) ककसी संयुतत अनुज्ञक्तत का िारक, खननज संसांनों का अक्स्तत् सुननक्श् चत करने के ललए संयुतत अनुज्ञक्तत के अीन क्षेत्र में गिंण संकक्रयाओं का करेगा तर्ा गिंण संकक्रयाओं का लागू अधिननयम और उसके अीन बनाए गए ननयमों के अनुसार आधिक ररपोटा प्रस्तुत

करेगा तर्ा संयुतत अनुज्ञक्तत के अीन क्षेत्र में गिंण संकक्रयाओं से संबंधित सर्ी ररपोटा, अध्ययन और अन्ध िस्तांिेज र्ारतीय खान ब्यूरो और प्रशासननक प्राधिकरण को प्रस्तुत ककए जाएंगे।

(6) यदि संयुतत अनुज्ञक्तत िारक,-

(क) िारा 12 की उपपारा (3) के अनुसार गिंण संकक्रयाएं पूरा करने में विफल रहता

है या अपतट क्षेत्र (खननज संसांनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार खननज संसांनों की विद्यमानता को स्र्ावपत करने में विफल रहता है, या संयुतत अनुज्ञक्तत की ननबंन और शतों या अधिननयम की अपेक्षाओं और उसके अीन विदहत ननयमों का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा िारक उत्पांन पट्टा प्रातत करने का पात्र नहीं होगा और संयुतत अनुज्ञक्तत को समातत कर दिया जाएगा;

(ख) गिंण संकक्रयाएं पूरा करता है और गिंण संकक्रयाओं के पररणाम को रूिेज्ञाननक ररपोटा के रूप में र्ारतीय खान ब्यूरो और प्रशासननक प्राधिकरण को प्रस्तुत करता है, क्जसके पररणामस्िरूप अपतट क्षेत्र (खननज संसांनों की

विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुरूप खननज संसाधनों की विद्यमानता का ननिारण होता है; उत्पादिन पट्टा अनुत्ति त करने के ललए अपेक्षक्षत क्षेत्र को विननदिष्ट करता है और उत्पादिन पट्टा अनुत्ति त करने के ललए अधिननयम के आीन बनाए गए ननयमों के अनुसार प्रशासनक प्राधिकरण को ननयम 11 में यर्ा विननदिष्ट अधिम संिाय की पहली ककस्त के सार् आिेिन करता है;

(7) अपतट क्षेत्र (खननज संसाधनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार खननज संसाधनों की विद्यमानता का समािान होने पर और अनुज्ञक्त त िारक द्िारा संयुतत अनुज्ञक्तत और िारा 12 की उपिारा (6) की शतों सदहत अधिननयम की शतों का अनुपालन ककए जाने पर, प्रशासनक प्राधिकरण अनुज्ञक्त तारी को उत्पादिन पट्टा अनुत्ति त करने के ललए केन्द्रीय सरकार को लसफाररश करेगा। केन्द्रीय सरकार का अनुमोििन प्रातत होने पर, प्रशासनक प्राधिकरण उत्पादिन पट्टे के ललए आशय पत्र जारी करेगा: परंतुक यह कक संयुतत अनुज्ञक्तत िारक द्िारा अधिननयम के उपबंिों और उसके आीन बनाए गए ननयमों के अनुसार कोई अनतररतत क्षेत्र छोड़ दिया जाएगा: परंतुक और कक अपतट क्षेत्र (खननज संसाधनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार तैयार की गई रूिैज्ञाननक ररपोटा प्रस्तुत करने के पश्चात्, संयुतत अनुज्ञक्तत िारक अधिननयम के आीन बनाए गए ननयमों के अनुसार संपूणा क्षेत्र को छोड़ सकता है और ऐसे मामले में

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

17

प्रशासनक प्राधिकरण यह समािान होने के पश्चात् कक रूिैज्ञाननक ररपोटा अपतट क्षेत्र (खननज संसाधनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुरूप तैयार की गई है, संपाििन प्रनतरूनत िापस कर िेगा।

(8) अपतट खननज विकास और उत्पादिन समझौता केन्द्रीय सरकार और संयुतत अनुज्ञक्तत िारक के बीच ननष्पादित ककया जाएगा यदि संयुतत अनुज्ञक्तत िारक-

(क) पात्रता की ननबंि और शतों का अनुपालन करना जारी रखता है;

(ख) अधिम संिाय का िस प्रनतशत के रूप में िूसरी ककस्त का संिाय करता है; (ग) ननयम 19 के उप-ननयम (2) में यर्ा विननदिष्ट िधित संपाििन प्रनतरूनत प्रस्तुत करता है;

(घ)

उत्पादिन योजना के संबंि में अधिननयम के आीन बनाये गये ननयमों में विननदिष्ट शतों को पूरा करता है;

(ङ) उत्पादिन संकक्रयाओं को शुरू करने के ललए लागू कानूनों के आीन आशयक सर्ी सहमनतयां, अनुमोििन, परलमत, अनापवत्त आदि प्रातत करता है; और

(च) ऐसी अन्ध शतों को पूरा करता है जो प्रशासनक प्राधिकरण द्िारा विननदिष्ट की जाएं।

(9) संयुतत अनुज्ञक्तत िारक अपतट खननज विकास और उत्पादिन करार के ननष्पाििन के पश्चात् अधिम संिाय के अस्सी प्रनतशत के बराबर तीसरी ककस्त का संिाय करेगा और ऐसे संिाय के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार तीसरी ककस्त के संिाय के तीस दिन के रीतर संयुतत अनुज्ञक्तत िारक के सार् उत्पादिन पट्टा विलेख ननष्पादित करेगी:

परंतुक यह कक आशय पत्र (उपयुतत ननयम 18 के उप-ननयम (7) के आीन अनुत्ति) की तारीख से तीन ििा की अधि की समाक्तत पर कोई उत्पादिन पट्टा विलेख ननष्पादित नहीं ककया जाएगा, और आशय पत्र अविधिमान्द य हो जाएगा:

परंतुक और कक, यदि विलंब के कारण अनुज्ञक्ततारक के ननयंत्रण से परे रे तो प्रशासनक

प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के अनुमोदिन से उत्पादिन पट्टा विलेख के ननष्पादिन के ललए िो ििा की अनतररतत अधि अनुज्ञात कर सकता है।

(10) यह उत्पादिन पट्टा अधिननयम और उसके अीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों के अीन होगा।

(11) उत्पादिन पट्टा नीलामी से पहले गिणि के अनुसरण में संयुतत अनुज्ञक्तत द्िारा किर ककए गए क्षेत्र में पाए जाने िले खननजों के ललए होगा:

परंतुक यह कक जहां नीलामी के बाि एक या एक से अधिक नए खननजों की खोज की जाती है, तो उत्पादिन पट्टा िारक ऐसे नए खननज को उत्पादिन पट्टा विलेख में शालमल करने के ललए अधिननयम के अीन बनाए गए ननयमों के उपबंिों का पालन करेगा।

(12) कजस तारीख को सम् यक रूप से ननष्पादित उत्पादिन पट्टा विलेख रक्जस् िीकृत ककया जाता है, िह उत्पादिन पट्टे के प्रारं होने की तारीख होगी।

19. संयुक्त अनुज्ञजप्त हेतु संपादन प्रनतूनत.— (1) ननम्न में से कम रकम: (i) अनुमाननत संसािनों के मूल य का 0.25 प्रनतशत; (ii) पचास करोड़ रुपए, यर्ाक्सूनत अधिमाननत बोली लगाने िाला या अनुज्ञक्तत िारक द्िारा, संपादिन, संयुतत अनुज्ञक्तत जारी करने से पहले संपादिन प्रनतरूनत के रूप में संिेय या अनुित्त ककए जाएंगे:

परंतुक यह कक उस खननज ब्लॉक के ललए कजसे इस प्रकार के ननक्षेप िले खननज ब्लॉक के रूप में विननदिष्ट ककया गया है, कजसके खननज संसािनों की अनुमाननत मात्रा का ननयम 2 के उप-ननयम (1) के खंड (ण) के अीन अनुमाननत संसािनों के मूल य की गणना करने के ललए मूल्यांकन करना संरि नहीं है, ककंतु विद्यमान रूविज्ञान डाटा के आार पर ब्लॉक की खननज संर्ाव यता की पहचान की गई है, संपादिन प्रनतरूनत एक करोड़ पचास लाख रुपए होगी।

(2) उत्पादिन पट्टा जारी करने से पहले संपादिन प्रनतरूनत की रकम को: (i) िारा 12 की उप- िारा (3) और (5) के उपबंिों के अनुसार गिणि संकक्रयाओं के पूरा होने के पश् चात् संयुतत अनुज्ञक्तत िारक द्िारा स्ावपत अनुमाननत संसािनों के मूल य का 0.50 प्रनतशत, कजसके पररणामस्िरूप अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुरूप खननज संसािनों की विद्यमानता का अिारण होता है (ii) एक सौ करोड़ रुपए, में से ननम्नतर रकम तक पुनरीक्षनत ककया जाएगा।

(3) उप-ननयम (2) के अीन विननदिष्ट संपादिन प्रनतरूनत को प्रत्येक पांच ििा में समायोज्त ककया जाएगा ताकक यह ननम्न में से ननम्नतर रकम के अनुरूप बनी रहे: यर्ाक्सूनत (i) अनुमाननत संसािनों के पुन: ननाररत मूल य का 0.50 प्रनतशत; (ii) एक सौ करोड़ रुपए हो:

परंतुक यह कक समायोज्त संपादिन प्रनतरूनत एक करोड़ रुपए प्रनत मानक ब्लॉक से कम नहीं होगी।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रिपत्र : असाधारण

19

(4) प्रनतरूनत ललखत के माध्यम से उपबंधित संपादिन प्रनतरूनत ननम्नललखत उपबंिों के अनुसार लागू की जा सकती है, -

- (i) संयुतत अनुज्ञक्तत का गिणि अनुज्ञक्तत विलेख; या
- (ii) अपतट खननज विकास और उत्पादिन करार; या
- (iii) उत्पादिन पट्टा विलेख:

परंतुक यह कक प्रशासननक प्राधिकरण का यह समािान होने पर कक संयुतत अनुज्ञक्तत िारक ने िारा 12 की उपारा (3) और (5) के अनुसार गिणि संकक्रयाएं

पूरी कर ली हैं, लेकन अपतट क्षेत्र (खननज संसाधनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के अनुसार सर्ी संर्ि प्रयास करने के पश्चात् री खननज संसाधनों की विद्यमानता को स्ावपत करने में असमर्ा है, संयुतत अनुज्ञक्तत िारक द्ारा उपबंधित की गई संपादि प्रनतरूनत िापस कर िेगा:

परंतु यह और कक यदि संयुतत अनुज्ञक्तत िारक िारा 12 की उपपारा (3) और (5) के अनुसार गिणि संकक्रयाएं पूरे करने में विफल रहता है, तो उसके द्ारा उपबंधित संपादि प्रनतरूनत जब्त कर ली जाएगी।

अध्याय 4

प्रकीणि

20. **स्पष्ट अशुद्धियों को सुिारने की शजक्तत.-** इन ननयमों के िीन केन्द्रीय सरकार या ककसी प्राधिकरण या अधिकारी द्ारा पाररत ककसी िेश में कोई ललवपकीय या अंकगखणतीय अशुद्धि और आकक्मक चूक या लोप के कारण उसमें उत्पन्न कोई अशुद्धि, केन्द्रीय सरकार, संबंधित यर्ाक्स्नत प्राधिकरण या अधिकारी, द्ारा सुिारी जा सकेगी:

परंतु कक ककसी व्यक्तत पर प्रनतकूल प्र्राि डालने िाला कोई सुिार िेश तब तक पाररत नहीं ककया जाएगा जब तक कक ऐसे व्यक्तत को सुनाई का युक्ततयुत त िसर न प्रान ककया गया हो। 21. **खान और खननज (ववकास और ववननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के िाग ख में ववननर्दिष्ट खननजों से संर्धित**

ववशेष उपर्ि—(1) इन ननयमों में अंतवविष् ट ककसी र्ात के होते हुए िी-

(क) यदि ककसी संयुतत अनुज्ञक्तत या उत्पादि पट्टे का िारक खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के र्ाग ख में विननदिष्ट ककसी खननज की खोज करता है, कजसका िेड ऐसे सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, कजसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्ारा, ऐसी अनुज्ञक्तत या पट्टे के िीन अनुत्ति क्षेत्र में विननदिष्ट करे, तो ऐसे खननज की खोज की ररपोटा, ननिशक, परमाणु खननज गिणि और अनुसंिान ननिशालय, हैिराबाि को ऐसे खननज की खोज की तारीख से साठ दिन के रीतर िी जाएगी;

(ख) अनुज्ञक्ततारक या पट्टेार खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के र्ाग ख में विननदिष्ट ककसी ऐसे खननज को हालसल या उसका ननपटान नहीं करेगा, कजसका िेड ऐसी सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, कजसे केंरीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्ारा विननदिष्ट करे;

(ग) खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के र्ाग ख में विननदिष्ट ककसी ऐसे खननज की मात्रा, कजसका िेड ऐसी सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, कजसे केंरीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्ारा विननदिष्ट करे, ऐसे गिणि या उत्पादि कायों के िौरान आकक्मक रूप से प्रातत की गई मात्रा को पुर्क रूप से एकत्र और स्टैक ककया जाएगा और इस आशय की एक ररपोटा अनुज्ञक्तत िारक या पट्टेार द्ारा आगे की कारािाई के ललए ननिशक, परमाणु खननज गिणि और अनुसंिान ननिशालय, हैिराबाि को हर मास र्ेजी जाएगी, जैसा कक परमाणु खननज गिणि और अनुसंिान ननिशालय द्ारा ननिलशत ककया जाए।

(2) उप-ननयम (1) में विननदिष्ट अनुज्ञक्तत िारक या पट्टेार, खान और खननज (विकास और विननयमन) अधिननयम, 1957 (1957 का 67) की पहली अनुसूची के र्ाग ख में विननदिष्ट ककसी री खननज, जो कक केंरीय सरकार द्ारा राजपत्र में अधिसूचना द्ारा विननदिष्ट ककए गए सीमा मूल्य के बराबर या उससे अधिक िेड का हो, की खोज की तारीख से साठ दिनों

के रीतर परमाणु ऊजा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) और उसके अन्तर्गत बनाए गए ननयमों के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसे खननजों को रख-रखाई हेतु अनुज्ञापत्र देने के ललए प्रशासनिक प्राधिकरण के माध्यम से सधचि, परमाणु ऊजा विभाग, मुंबई को आदेशित करेगा और परमाणु ऊजा विभाग इस संबंध में अनुज्ञापत्र जारी करने के बारे में प्रशासनिक प्राधिकरण को सूधचत करेगा।

22. गवेषण र्ाध यता.—उत्पािन पट्टे का िारक विस्तृत गिण (जी1 स्तर गिण) पूरा करेगा और उत्पािन पट्टे के अन्तर्गत क्षेत्र पर, ऐसे उत्पािन पट्टे के प्रारं होने की तारीख से पांच िा की अधि के रीतर, अपतट क्षेत्र (खननज संसािनों की विद्यमानता) ननयम, 2024 के र्ाग IV और V के अनुरूप एक विस्तृत विहायाता अध्ययन ररपोटा तैयार करेगा।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का ऱपित्र : असाधारण

21

23. जर् क्रकसी अपेा की पूनति का र्दन साविजननक अवकाश हो.— जब इन ननयमों के अन्तर्गत ककसी अपेक्षा की पूनता का दिन सााजननक अिकाश के दिन पड़ रहा हो, तो पूनता का दिन अगले उत्तरिती काया दिा को पूनता का दिन माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.— "सााजननक अिकाश" अलर्व्यक्तत के अन्तर्गत शननार, रविार और केन्द्रीय सरकार द्वारा सााजननक अिकाश के रूप में घोवित ककया गया कोई अन्ध दिन शालमल है।

अनुसूची 1

पात्रता की ननरंिन और शतें

[ननयम 6 देखखए]

1. अनुमाननत संसािनों के मूल य के आार पर उत्पािन पट्टे की नीलामी के ललए ननमललखखत शुर्िमालनयत अपेक्षाएं लागू होंगी, अर्ातः—

- (क) यदि अनुमाननत संसािनों का मूल य एक हजार करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक है, तो आेिक, कजसमें एक व यक्ष टक री शालमल है, के पास अनुमाननत संसािनों के मूल य की 2 प्रनतशत से अधिक ननिल संपवत होनी चादहए।
- (ख) यदि अनुमाननत संसािनों का मूल य एक हजार करोड़ रुपये से कम ककंतु एक सौ करोड़ रुपये से अधिक है, तो आेिक, कजसमें एक व यक्ष टक री शालमल है, के पास अनुमाननत संसािनों के मूल य की 1 प्रनतशत से अधिक शुर्ि मालनयत होनी चादहए।

(ग) यदि अनुमाननत संसािनों का मूल य एक सौ करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है, तो आेिक, कजसमें एक व यक्ष टक री शालमल है, के पास अनुमाननत संसािनों के मूल य की 0.5 प्रनतशत से अधिक शुर्ि मालनयत होनी चादहए:

परंतुक कक शुर्ि मालनयत अपेक्षा एक सौ करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

2. संयुतत अनुज्ञापत्र की नीलामी के िशा में, आेिक के पास अनुमाननत संसािनों के मूल य की 1 प्रनतशत से अधिक शुर्ि मालनयत होनी चादहए और जहां अनुमाननत संसािनों का मूल य एक सौ करोड़ रुपये के बराबर या उससे कम है, आेिक के पास अनुमाननत संसािनों के मूल य की 0.5 प्रनतशत से अधिक शुर्ि मालनयत होनी चादहए:

परंतुक यह कक शुर्ि मालनयत की अपेक्षा पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह कक ऐसे खननज िाले खननज ब्लॉक के ललए, कजनके खननज संसािनों की अनुमाननत मात्रा का ननयम 2 के उप-ननयम (1) के खंड (ण) के अन्तर्गत अनुमाननत संसािनों के मूल य की गणना करने के ललए ननारण, करना संर्ि नहीं है, ककंतु विद्यमान रूविज्ञान डाटा के

आर पर ब्लॉक की खनन क्षमता की पहचान की गई है, आर्िक के पास पच्चीस करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर की शुद्ि मालनयत होगी।

स्पष्टीकरण.—

(1) यदि आर्िक र्ारत में ननगलमत ककसी अन्ध कंपनी की समनुिंगी कंपनी है, तो ऐसी ननयंत्री कंपनी की शुद्ि मालनयत पर र्ी विचार ककया जा सकता है:

परंतु कक, ऐसी िशा में, आर्िक तब तक ऐसी ननयंत्री कंपनी का समनुिंगी बना रहेगा जब तक कक आर्िक उपयुतत शुद्ि मालनयत सीमा को प्रातत नहीं कर लेता।

(2) ककसी कंपनी िशा में, शुद्ि मालनयत, ननवििा आमंत्रण सूचना जारी करने की तारीख से ठीक पहले समातत हुए वित्तीय ििा के लेखापरीक्षकत तुलना पत्र के अनुसार समाित् त शेयर पूंजी और अरक्षक्षती का योग होगा।

(3) यदि ननवििा आमंत्रण सूचना ककसी ििा 1 अप्रैल से 30 लसतंबर (िोनो दिन सक्मललत) के बीच जारी की जाती है तो, ननवििा आमंत्रण सूचना जारी करने की तारीख से ठीक पहले के वित्तीय ििा के लेखापरीक्षकत तुलना पत्र बोली लगाने िाले द्िारा प्रस्तुत की जा सकती है, यदि पूिािती वित्तीय ििा का लेखापरीक्षकत तुलना पत्र उपलब्ि न हो।

(4) ककसी व् यक्ष टक की िशा में, शुद्ि मालनयत आर्िन प्रस्तुत करने की अनतम तारीख पर अंत नकि अनतशेि होगा, और ऐसी रकम में, अनुसूधचत बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाते की रकम, अनुसूधचत बैंकों, डाकघर, सूचीबद्ि कंपननयों या सरकारी संगठन या राज्य और केंरीय सरकार के पक्ब लक सेत टर उपक्रमों में ननशुल्क और र्ार रदहत सािधि जमा, ककसान विकास पत्र, राष्ीय बचत प्रमाणपत्र, सूचीबद्ि कंपननयों के बंिपत्र और शेयर, सूचीबद्ि पारस् पररक ननधि, यूननट ललंतड बीमा योजना, सािाजननक विष्य ननधि, जीिन बीमा पॉलललसयों का समपाण मूल्य और आर्िक के नाम पर अविलंगलमत स्ारि संपवत शालमल हो सकती है।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रिपत्र : असाधारण

23

अनुसूची 2

उत्पादन पट्टे के भलए संपादन प्रनतिूनत

फॉमेट

[ननयम 12 देखखए]

[बैंक की संि्रा संख्या]

[तारीख]

सेिा में

िारत के राष्ट्रपनत

[पता]

जर्कक

क. [अधिमाननत बोली लगाने िाले का नाम] र्ारत में कंपनी अधिननयम, [2013] के आिन ननगलमत है, कजसकी कॉपोरेट पहचान संख्या [अधिमाननत बोली लगाने िाला का सीआईएन] है, कजसका रक्जस् िीकृत कायालय [रक्जस् िीकृत कायालय का पता], र्ारत में है और कारबार का मुख्य स्ान [रक्जस् िीकृत कायालय से लर्द् होने पर कारबार के मुख्य स्ान का पता] पर है या [व्यक्तत का नाम] जो र्ारत का नागररक है, कजसके पास आयकर स्रायी खाता संख्या [संख्या] है, जो [पता] पर रहता है या [साझेिारी फमा/व् यक्ष टकों का संगम], कजसके सर्ी सिस् र्ारतीय नागररक हैं और र्ारत के ननिसी हैं, कजनका कारबार का मुख्य स्ान [कारबार के मुख्य स्ान का पता] पर है ('अधिमाननत बोली लगाने िाले') को [र्ारतीय रुपए (शब्िों में)] [अंकों में] के बराबर रकम के ललए त्रबना शता और अप्रनतसंहरणीय बैंक प्रत यार्ूनत अनुित् त करना अपेक्षकत है जो संपािन प्रनतरूनत के रूप में [संपािन बैंक प्रत यार्ूनत के अिसान की तारीख] ("अिसान तारीख") तक िैि है।

परंतु कक अधिमाननत बोली लगाने िाले के ककसी र्ी संिर्ा का अर्ा अपतट क्षेत्र खननज (नीलामी) ननयम, 2024 के ननयम 10 के उप-ननयम (4) की शतों की पूनता पर सफल बोली लगाने िाला होगा।

ख. ननवििा िस्तािेज के िीन कनतपय बाध् याताओं के ननिहन के ललए, र्ारत सरकार ("केन्द्रीय सरकार") के खान मंत्रालय के प्रनतननधि के रूप में र्ारत के राष्िपनत को संपाििन प्रनतरूनत अनुित्त की जानी अपेक्षक्षत है, जो अपतट खननज विकास और उत्पाििन करार की नीलामी [नीलामी की विलशक्ष् टयां] के संबंि में है, कजसे केन्द्रीय सरकार और अधिमाननत बोली लगाने िाले के बीच ननष्पादित ककया जाएगा और उत्पाििन पट्टा विलेख, कजसे केन्द्रीय सरकार और अधिमाननत बोली लगाने िाले (सामूदहक रूप से "करार") के बीच ननष्पादित ककया जाएगा।

ग. हम, [बैंक का नाम] ("बैंक") अधिमाननत बोली लगाने िाले के अनुरोि पर, केंरीय सरकार को र्ारतीय रुपए [अंकों में] (र्ारतीय रुपए [शब्िों में]) ("प्रत् यार्ूनत रकम") से अनधिक रकम का संिाय करने

का िचन िेते हैं, ताकक इसमें अंतविष् ट ननयमों और शतों पर केंरीय सरकार की मांग पर इस करार के िीन सफल बोली लगाने िाले के िानयत्िों को सुननक्श्त ककया जा सके।

अतः अर्, यह र्ैंक सफल र्ोली लगाने वाले की ओर से प्रत् यािूनत रकम में केंद्रीय सरकार के पि में यह अप्रनतसंहरणीय और त्रर्ना शति संदाय र्ैंक प्रत् यािूनत ("प्रत् यािूनत") जारी करता है:

1. इस उद्िेश्य के ललए बैंक त्रबना शता और अप्रनतसंहरणीय रूप से केंरीय सरकार को त्रबना ककसी आपवत्त, आरक्षण, केवियट, विरोि या अिलंबन के, केंरीय सरकार से पहली ललखखत मांग प्रातत होने पर तुरंत, रलश या रलशयों (एक या अधिक िािों के माध्यम से) का, जो कुल लमलाकर प्रत् यार्ूनत रकम से अधिक नहीं होगी, त्रबना केंरीय सरकार को बैंक को उसमें विननदिष्ट रकम के ललए ऐसी मांग के आार या कारण सात्रबत करने या दिखाने की आश्यकता के और ककसी र्ी मामले पर केंरीय सरकार और सफल बोली लगाने िाले के बीच ककसी र्ी वििाि या मतर्रेि के बािजूि। बैंक ककसी र्ी मामले में सफल बोली लगाने िाले द्िारा ककसी र्ी न्द यायालय या अधिकरण के समक्ष लंत्रबत ककसी र्ी मुकिमे या कायािाही में उठाए गए ककसी र्ी वििाि या वििािों के बािजूि केंरीय सरकार को इस तरह की मांग की गई ककसी र्ी रकम का संिाय करने का िचन िेता है, इस ितामान प्रणाली के िीन बैंक का िानयत् ि पूणा और स्पष्ट है।

2. बैंक यह स्िीकार करता है कक बैंक द्िारा केंरीय सरकार को संिय रकम की केंरीय सरकार द्िारा की गई ऐसी कोई र्ी मांग, सफल बोली लगाने िाले द्िारा करार के िीन केंरीय सरकार को संिय रकम के संबंि में अनंतम, बाध्यकारी और ननणायक साक्ष्य होगी।

3. बैंक इस प्रकार केंरीय सरकार द्िारा सफल बोली लगाने िाले से पूिोत त रकम या उसके ककसी र्ाग की मांग करने की आश्यकता को समातत करता है और सार् ही बैंक को इस प्रत् यार्ूनत के िीन संिाय के ललए बैंक को कोई ललखखत मांग प्रस्तुत करने से पहले केंरीय सरकार से सफल बोली लगाने िाले के विरुद्ि अपने विधिक उपचार असर करने की मांग करने के ककसी र्ी अधिकार को र्ी समातत करता है।

4. बैंक केंरीय सरकार के सार् त्रबना शता सहमत है कक केंरीय सरकार, बैंक की सहमनत के त्रबना और इस प्रत् यार्ूनत के िीन बैंक की बाध् यता को ककसी र्ी तरह से प्र्ावित ककए त्रबना, समय-समय पर ननम्ललखखत के ललए स्ितंत्र होगी:

- (i) करार की ननबंिन और शतो में पररितान और/या उपांतरण;
- (ii) करार के िीन सफल बोली लगाने िाले की बाध् यताओं के संपाििन के ललए समय को

(iii) बढाना और/या सधगत करना, या करार के ननबंिन और शतों के अीन सफल बोली लगाने िाले के विरुद्धि केंरीय सरकार द्ारा प्रयोग ककए जाने िाले ककसी री अधिकार को छोड़ना या लागू करना।

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

25

और बैंक केंरीय सरकार की ओर से ककसी ऐसे काया या चूक या केंरीय सरकार द्ारा सफल बोली लगाने िाले को िी गई ककसी छूट या अन्ध ककसी री कारण से अपने िानयत्ि से मुतत नहीं होगा, जैसा कक प्रनतरूनत से संबंधित विधि के अीन होता है, परन्तु इस उपबंिन के अीन, जो इस प्रत् यारूनत के अीन बैंक को उसकी बाध् यताओं से मुतत करती है।

5. इसके अीन ककया गया कोई री संिाय ितामान या विष्य के करो, उद्धिण, अधिरोपण, शुल्क, प्रार, फीस, कमीशन, ककसी री प्रकार की कटौनतयों या विाररतों हेतु या उनके कारण ककसी री कटौती से मुतत होगा।

6. बैंक सहमत है कक केंरीय सरकार के पास विकल्प के रूप में यह हक होगा कक िह प्रर्मतः सफल बोली लगाने िाले के विरुद्धि कायािाही ककए त्रबना बैंक के विरुद्धि इस प्रत् यारूनत को लागू करे, तयोंकक िह एक प्रमुख िेनिर है।

7. बैंक आगे सहमत है कक इसमें अंतविष् ट प्रत् यारूनत समझौते में विननदिष्ट अधि के िौरान पूरी तरह से लागू रहेगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक कक संपािन प्रनतरूनत के संबंि में उतत करार के अीन या इसके आार पर सफल बोली लगाने िाले के सर्ी िानयत्िों का पूरी तरह से संिाय नहीं कर दिया जाता है और उसके िािों को केंरीय सरकार का सकमािन होने पर पूणा या ननिहन नहीं कर दिया जाता है या जब तक कक केंरीय सरकार यह प्रमाखणत नहीं कर िेती है कक संपािन प्रनतरूनत के संबंि में करार की के ननबंिन और शतों को सफल बोली लगाने िाले द्ारा पूरी तरह से और उधचत रूप से पूरा ककया गया है और तिनुसार इस प्रत् यारूनत का ननिहन ककया गया है। इसमें अंतविष् ट ककसी री बात के होते हुए री, जब तक कक इस प्रत् यारूनत के अीन बैंक पर समाक्तत तारीख पर या उससे पहले ललखखत रूप में कोई मांग या िािा नहीं ककया जाता, बैंक को तत्पश्चात् इस प्रत् यारूनत के अीन सर्ी िानयत्िों से उन्द् मोधचत कर दिया जाएगा।

8. इस प्रत् यारूनत के अीन बैंक द्ारा ककया गया यह संिाय, इसके अीन संिाय हेतु बैंक के िानयत्ि का िेि उन्द् मोचन होगा और कोई री व्यक्तत ऐसे संिाय के ललए बैंक के विरुद्धि कोई िािा नहीं कर सकेगा।

9. यह प्रत् यारूनत रारत की विधियों के अीन है। इस प्रत् यारूनत या इसके वििय से उत्पन्द् होने िाला कोई री मुकिमा, कारािाई या अन्ध कायािाही नई दिल्ली, रारत में न्द्यायालयों के अनन्ध अधिकाररता के अीन होगी।

10. बैंक इसका प्रनतननधित्ि करता है कक उसके पास केंरीय सरकार के पक्ष में इस प्रत् यारूनत को जारी करने का अधिकार और शक्तत है। बैंक के संविान में पररितान के कारण यह प्रत् यारूनत उन्द् मोधचत नहीं होगी।

11. बैंक ललखखत रूप में केंरीय सरकार की पूिा सहमनत के लसिाय इसकी मुरा के िौरान इस प्रत् यारूनत को बानतल नहीं करने का िचन िेता है।

12. केन्द्रीय सरकार, बैंक को पूिा सूचना िेकर, इस प्रत् यारूनत के अीन अधिकार ककसी अन्ध विर्ाग, मंत्रालय या ककसी सरकारी अलर्करण को सौप सकती है, जो राष्पिनत के नाम से काया कर सकती है। इस खंड 12 में अीन प्राििानों को छोड़कर, यह प्रत् यारूनत ककसी को सौपी या अंतररत नहीं की जा सकती।

13. इसमें अंतविष् ट ककसी बात के होते हुए री,

क. इस बैंक प्रतु यारूनत के अीन बैंक का िानयत् ि प्रतु यारूनत रकम से अधिक नहीं होगा। ख. यह बैंक प्रतु यारूनत अिसान की तारीख तक विधिमान्द य रहेगी।

14. बैंक, इस बैंक प्रतु यारूनत के अीन प्रतु यारूनत रकम या उसके ककसी र्ाग का संिाय केिल तर्ी करने के ललए िायी है, जब केन्द्रीय सरकार अिसान तारीख को या उससे पहले बैंक को ललखखत िािा या मांग प्रस्तुत करे।

बैंक के ललए तारीख [दिन] का दिन [मास] [िा]।

इसके साक्ष्यस्िरुप बैंक अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाता है। (हस्ताक्षर)

(नाम और पिनाम) (बैंक स्टाम्प)

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

27

अनुसूची 3

संयुक्त अनुज्ञजप्त के भलए संपादन प्रनत्तिनत का फॉमेट [ननयम 19 देखखए]

[बैंक का संिर्ा संख्या]

[तारीख]

सेिा में

र्ारत के

राष्पिनत

[पता]

जबकक

क. [अधिमाननत बोली लगाने िाले का नाम] र्ारत में कंपनी अधिननयम, [2013] के अीन ननगलमत है, कजसकी कॉपोरेट पहचान संख्या [अधिमाननत बोली लगाने िाले का सीआईएन] है, कजसका रकजस् िीकृत कायालय [रकजस् िीकृत कायालय का पता], र्ारत में है और कारबार का मुख्य स्ान [पंजीकृत कायालय से लन्द् होने पर कारबार के मुख्य स्ान का पता] है या [व् यक्ष टक का नाम] जो र्ारत का नागररक है, कजसके पास आयकर स्ायी खाता संख्या [संख्या] है, जो [पता] पर रहता है या [साझेिारी फमा/ व् यक्ष टकों का संगम], कजसके सर्ी सिस्य र्ारतीय नागररक हैं और र्ारत के ननिासी हैं, कजनका कारबार का मुख्य स्ान [कारबार के मुख्य स्ान का पता] पर है ('अधिमाननत बोली लगाने िाले') को (र्ारतीय रुपए [आंकड़े]) (र्ारतीय रुपए [शब्ि]) के बराबर रकम के ललए कजसको [●]([●]) िा की प्रारंलर्क अधि के ललए इस तारीख तक ("अिसान तारीख") िैि संपािन प्रनतरूनत के रूप में त्रबना शता और अप्रनतसंहरणीय बैंक प्रतु यारूनत अनुित् त करना आश्यक है।

परंतु कक अधिमाननत बोली लगाने िाले के ककसी र्ी संिर्ा का अर्ा अपतट क्षेत्र खननज (नीलामी) ननयम, 2024 के ननयम 18 के उप-ननयम (3) की शतों को पूरा करने पर सफल बोली लगाने िाला होगा।

ख. संपािन प्रनतरूनत र्ारत के राष्पिनत को खान मंत्रालय, र्ारत सरकार ("केंरीय सरकार") के प्रनतननधि के रूप में ककया जाना अपेक्षक्षत है, जो [नीलामी की विलशष् टयां] की नीलामी और केंरीय सरकार और अधिमाननत बोली लगाने िाले के बीच ननष्पादित की जाने िाली संयुतत अनुज्ञक्तत के गििण अनुज्ञक्तत विलेख और केंरीय सरकार तर्ा अधिमाननत बोली लगाने िाले के बीच ननष्पादित ककए जाने िाले अपतट खननज विकास और उत्पािन करार और केंरीय सरकार और अधिमाननत बोली लगाने िाले के बीच ननष्पादित ककए जाने िाले

उत्पाणि पट्टा विलेख (सामूहिक रूप से "करार") के संबंध में [तारीख] के ननविंशति के अंतिम के अंतिम कनतपय बाध यताओं के ननिहन के ललए है।

ग. हम, [बैंक का नाम] ("बैंक") अधिमाननत बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार से मांग पर करार के अंतिम अधिमाननत बोली लगाने वाले या सफल बोली लगाने वाले की बाध यताओं को सुरक्षित करने के ललए इसमें अंतविष्ट ननबंनि और शतों के केंद्रीय सरकार को (राष्ट्रीय रुपए [अंकों में]) (राष्ट्रीय रुपए [शब्दों में]) ("प्रत्यारूनत रकम") से अनधिक रकम का संधि करने का चिन्ता है।

अतः अब, बैंक इस प्रकार प्रत्यारूनत रकम में अधिमाननत बोली लगाने वाले की ओर से केंद्रीय सरकार के पक्ष में यह अप्रनतसंहरणीय और त्रबना शता संधि बैंक प्रत्यारूनत ("प्रत्यारूनत") जारी करता है:

1. इस उद्देश्य के ललए बैंक त्रबना शता और अप्रनतसंहरणीय रूप से राज्य से पहली ललखखत मांग प्राप्त होने पर तुरंत त्रबना ककसी आपवत्त, आरक्षण, केवियट, विरोध या अलंबन के केंद्रीय सरकार को रकम या रकमों (एक या अधिक विंशति के माध्यम से) का, जो कुल लमलाकर प्रत्यारूनत रकम से अधिक नहीं होगी, त्रबना केंद्रीय सरकार को बैंक को इस तरह की मांग के ललए आार या कारण सातबत करने या दिखाने की आश्यकता के और ककसी री मामले पर केंद्रीय सरकार और अधिमाननत बोली लगाने वाले के बीच ककसी री विंशति या मतरु के बाज्जि संधि करने का चिन्ता है। बैंक इस प्रकार मांगी गई ककसी री निरलश का संधि केन्द्रीय सरकार को करने का चिन्ता है, ले ही इससे संबंधित ककसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबत ककसी मुकिमे या कायािही में सफल बोली लगाने वाले द्वारा कोई विंशति या विंशति उत्पन्न हो, इस विमान प्रणाली के अंतिम बैंक का निनयत् पूर्णा और स्पष्ट है।
2. बैंक यह स्वीकार करता है कक बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को संधि रकमों की केंद्रीय सरकार द्वारा की गई ऐसी कोई री मांग, करार के अंतिम अधिमाननत बोली लगाने वाले द्वारा केंद्रीय सरकार को संधि रकमों के संबंध में अनंतम, बाधकारी और ननणायक साक्ष्य होगी।
3. बैंक इस प्रकार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिमाननत बोली लगाने वाले से पूर्वोक्त त रकम या उसके ककसी राग की मांग करने की आश्यकता को समातत करता है और सार ही बैंक को इस प्रत्यारूनत के अंतिम संधि के ललए बैंक को कोई ललखखत मांग प्रस्तुत करने से पहले केंद्रीय सरकार से अधिमाननत बोली लगाने वाले के विरुद्ध अपने विधिक उपचार असर करने की मांग करने के ककसी री अधिकार को री समातत करता है।

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का रिपत्र : असाधारण

29

4. बैंक केंद्रीय सरकार के सार त्रबना शता सहमत है कक केंद्रीय सरकार, बैंक की सहमत के त्रबना और इस प्रत्यारूनत के अंतिम बैंक की बाध यता को ककसी री तरह से प्रभावित ककए त्रबना, समय-समय पर ननमललखखत के ललए संधि होगी:

- i) करार की ननबंनि और शतों में बिलाि और/या उपांतरण करना;
- ii) करार के अंतिम अधिमाननत बोली लगाने वाले की बाध यताओं के संधि के ललए समय को बढ़ाना और/या संधि करना, या
- iii) करार के ननबंनि और शतों के अंतिम अधिमाननत बोली लगाने वाले के विरुद्ध केंद्रीय सरकार द्वारा प्रयोग ककए जाने वाले ककसी री अधिकार को त्यागना या लागू करना, और बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से ककसी री ऐसे काया या चूक या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिमाननत बोली लगाने वाले के प्रनत ककसी री तरह की ररयायत या ककसी री अन्ध

कारण से अपने िानयत्ि से मुतत नहीं होगा, जैसा कक प्रनतरूनत से संबंधित विधि के िीन होता है, परन्दुतु इस उपबंि के िीन, जो इस प्रत् यारूनत के िीन बैंक को उसकी बाध् यताओं से मुतत करती है।

5. इसके िीन ककया गया कोई र्ी संिाय ितामान या विष्प के करो, उद्िहण, अधिरोपण, शुल्क, प्ररार फीस, कमीशन, ककसी र्ी प्रकार की कटौनतयों या ककसी र्ी प्रकार के विाररतों हेतु या उनके कारण ककसी र्ी कटौती से मुतत होगा।
6. बैंक इस बात से सहमत है कक केंरीय सरकार के पास विकल्प के रूप में यह हक होगा कक िह प्रर्मतः अधिमाननत बोली लगाने िाले के विरुद्ि कायािाही ककए त्रबना बैंक के विरुद्ि इस प्रत् यारूनत को लागू करे, त योंकक िह एक प्रमुख िेनार है।
7. बैंक इस बात पर र्ी सहमत है कक यह बैंक प्रत् यारूनत और इसमें अंतविष् ट प्रत् यारूनत बाध् यताएं पूणा रूप से प्रित् त रहेंगे और तब तक लागू रहेंगे जब तक: (i) उतत करार के िीन या इसके िार पर संपािन प्रनतरूनत के संबंि में अधिमाननत बोली लगाने िाले के सर्ी बाध् यताओं का पूरी तरह से संिाय नहीं कर दिया जाता है और उसके िािों को केंरीय सरकार के समािान हो जाने पर पूणा या ननिहन नहीं कर दिया जाता है; या (ii) जब तक केंरीय सरकार यह प्रमाखणत नहीं कर िेती है कक संपािन प्रनतरूनत के संबंि में करार के ननबंिन और शतों का अधिमाननत बोली लगाने िाले द्िारा पूरी तरह से और उधचत रूप से पालन ककया गया है और तदनुसार इस प्रत् यारूनत का ननिहन ककया गया है; या (iii) अपतट क्षेत्र खननज (नीलामी) ननयम, 2024 के ननयम 19 के उप-ननयम (2) के िीन पुनरीक्षक्षत संपािन प्रनतरूनत के उपबंि पर, जो र्ी बाि में हो। इसमें अंतविष् ट ककसी र्ी बात को लेते हुए र्ी, जब तक कक इस प्रत् यारूनत के िीन बैंक पर समाक्तत तारीख को या उससे पहले ललखखत रूप में कोई मांग या िािा नहीं ककया जाता, बैंक को तत्पश्चात इस प्रत् यारूनत के िीन सर्ी िानयत्िों से उन्द मोधचत कर दिया जाएगा।
8. इस प्रत् यारूनत के िीन बैंक द्िारा ककया गया यह संिाय, इसके िीन संिाय हेतु िानयत्ि का िेि ननिहन होगा और कोई र्ी व्यक्तत ऐसे संिाय के ललए बैंक के विरुद्ि कोई िािा नहीं कर सकेगा।
9. यह प्रत् यारूनत रारत की विधि के िीन है। इस प्रत् यारूनत या इसके वििय-िस्तु से उत्पन्द्र कोई र्ी मुकिमा, कारािाई या अन्द कायािाही नई दिल्ली, रारत में न्द्यायालयों के अनन्द अधिकाररता के िीन होगी।
10. बैंक को केंरीय सरकार के पक्ष में यह प्रत् यारूनत जारी करने का अधिकार है। बैंक के संविान में पररितान के कारण यह प्रत् यारूनत उन्द मोधचत नहीं होगी।
11. बैंक यह िशाता है कक उसके पास ललखखत रूप में केंरीय सरकार की पूिा सहमनत के त्रबना इस प्रत् यारूनत को इसके मुरा के िौरान प्रनतसंहत करने का अधिकार और शक्तत है।
12. केंरीय सरकार, बैंक को पूिा सूचना िेकर, इस प्रत् यारूनत के िीन अधिकार ककसी अन्द विर्ाग, मंत्रालय या ककसी सरकारी अलर्करण को सौंप सकती है, जो राष्पिनत के नाम पर काया कर सकती है।

इस खंड 12 में दिए गए उपबंिों को छोड़कर, यह प्रत् यारूनत सौंपने यो य या अंतरणीय नहीं होगी। 13. इसमें अंतविष् ट ककसी र्ी बात के होते हुए र्ी,

क. इस बैंक प्रत् यारूनत के िीन बैंक का िानयत्ि प्रत् यारूनत की रकम से अधिक नहीं होगा; और ख. यह बैंक प्रत् यारूनत िसान की तारीख तक विधिमान्द य होगी।

14. बैंक इस बैंक प्रत् यार्नत के अीन प्रत् यार्नत रकम या उसके ककसी र्ाग का संाय केिल तर्ी करने के ललए उत्तरायी है जब केंरीय सरकार अिसान तारीख को या उससे पहले बैंक को ललखखत िािा या मांग प्रस्तुत करेगी।

बैंक के ललए [दिन] का दिन [मास] [िािा] ।

इसके साक्ष्यस्िरुप बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से अपना हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पिनाम)

(बैंक मुहर)।

[फा. सं. एम.VI-1/7/2023-खान

डा. िीणा कुमारी डमाल,

VI]

संयुतत सधचि

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

31

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 502(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

CHAPTER I PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.
2. **Definitions.** — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —
 - (a) “Act” means the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003);
 - (b) “Area” shall have the meaning as assigned to ‘offshore areas’ under clause (n) of section 4;
 - (c) “mineral block” means an area identified by the specific latitude and specific longitude comprising of contiguous standard blocks as specified in the tender document issued by the administering authority in accordance with the provisions of the Act;
 - (d) “Offshore Mineral Development and Production Agreement” means the agreement referred to in sub-rule (5) of rule 10 or sub-rule (8) of rule 18;
 - (e) “preferred bidder” means the bidder referred to in sub-rule (9) of rule 9;
 - (f) “qualified bidders” means the bidder referred to in sub-rule (8) of rule 9;
 - (g) “reserve price” means the minimum percentage of value of mineral dispatched as referred to in sub-rule (1) of rule 8;
 - (h) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;

- (i) “section” means a section of the Act;
- (j) “security instrument” means the bank guarantee substantially in the form provided in Schedule II and Schedule III to these rules, security deposit or such other instrument as may be specified by the Central Government in the Ministry of Mines that is furnished as bid security or performance security in accordance with these rules.
- (k) “successful bidder” means the bidder as referred to in sub-rule (4) of rule 10 or sub-rule (3) of rule 18;
- (l) “technically qualified bidders” means the bidder as referred to in sub-rule (6) of rule 9;
- (m) “tender document” means the tender document issued by the administering authority for conduct of an auction referred to in sub-rule (2) of rule 9;
- (n) “upfront payment” means the payment referred to in sub-rule (1) of rule 11;
- (o) “value of estimated resources” means an amount equal to the product of, —
- (i) the estimated quantity of mineral resources for which the mineral block is being auctioned, expressed in metric tonne; and
 - (ii) the average price per metric tonne of such mineral or mineral grade as published by the Indian Bureau of Mines for a period of twelve months immediately preceding the month of computation of the value of estimated resources:
- Provided that if for any mineral or mineral grade, the average sale price for any month is not published by the Indian Bureau of Mines, the average sale price for the latest month published for such mineral or mineral grade shall be deemed to be the average sale price for the said month for which average sale price is not published:
- Provided further that if for any mineral or mineral grade, the average sale price is not published for the entire period of the preceding twelve months, then average sale price for such mineral or mineral grade shall be as specified by Indian Bureau of Mines; and
- (p) “value of mineral dispatched” shall have the meaning specified in sub-rule (2) of rule 8.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or rules made thereunder.

3. Application. —These rules shall apply to all minerals, except, —

- (i) mineral oils and hydrocarbons described in sub-section (1) of section 3; and
- (ii) minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) having grade equal to or greater than the threshold value as notified by the Central Government from time to time.

4. Grant of operating right. — (1) Where existence of mineral resources in an area has been established as specified in the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, production lease shall be granted in the manner specified under Chapter II of these rules.

(2) A composite licence with respect to an area where requirements specified in rule 5 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 have been satisfied, shall be granted in the manner specified under Chapter III of these rules.

CHAPTER II

GRANT OF PRODUCTION LEASE

5. Prerequisites for auction of Production Lease. — (1) The administering authority may initiate an auction process for grant of a production lease in accordance with section 13 with respect to an area if the existence of mineral resources in such area has been established in terms of the provisions of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024.

(2) The administering authority shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to mineral auction and with the prior approval of the Central Government, identify the mineral block for which a production lease is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block.

6. Eligibility for Production Lease. — (1) For the purpose of participating in the auction of production lease, an applicant shall have to fulfill the requirements as specified in section 6 and the terms and conditions of eligibility as specified in Schedule I.

(2) The successful bidder shall be decided solely on the basis of the financial bids submitted by the bidders, and meeting the eligibility conditions specified in Schedule I read with the terms and conditions of the tender documents.

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

33

(3) A bidder shall submit only one bid in an auction of a mineral block and no affiliate of a bidder shall submit a bid in the same auction where such bidder has submitted bid.

(4) In case a bidder submits more than one bid in an auction of a mineral block or an affiliate of a bidder submits bid in same auction where such bidder has submitted bid, the bids submitted by the bidder and its affiliate shall be rejected.

Explanation. — For the purpose of this rule, —

(i) “affiliate” with respect to a bidder shall mean a person who, —

- (a) controls such bidder;
- (b) is controlled by such bidder;
- (c) is under common control with such bidder;
- (d) is an associate company of the bidder; or
- (e) is a subsidiary company of such bidder.

(ii) the expressions “associate company”, “control” and “subsidiary company” shall have the same meaning as assigned to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

7. Electronic Auction. — (1) An auction shall be conducted only through an online electronic auction platform.

(2) The administering authority may utilise any online electronic auction platform which meets the minimum technical and security requirements as specified in the Guidelines for compliance to Quality requirements of e-Procurement Systems issued by the Standardisation Testing and Quality Certification Directorate, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Government of India.

8. Bidding parameters. — (1) The administering authority shall specify in the tender document the minimum percentage of the value of mineral dispatched, which shall be known as the “reserve price”.

(2) The value of mineral dispatched shall be an amount equal to the product of, —

- (a) mineral dispatched in a month; and
- (b) sale price of the mineral (grade-wise) as published by the Indian Bureau of Mines for such month of dispatch.

(3) The bidders shall quote, as per the bidding parameter, for the purpose of payment to the Central Government, a percentage of value of mineral dispatched equal to or above the reserve price and the successful bidder shall pay to the Central Government, an amount equal to the product of, —

- (a) percentage so quoted; and
- (b) value of mineral dispatched.

- (4) Where an area is being auctioned for more than one mineral, the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3), shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral.
- (5) If subsequent to grant of a production lease, one or more new minerals are discovered, the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral:

Provided that if such subsequently discovered minerals are minerals specified in Part D of the First Schedule or the Seventh Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), ten per cent. of the percentage of value of mineral dispatched as quoted by the successful bidder under sub-rule (3) shall be applicable for the purpose of payment to the Central Government in respect of each such mineral.

9. Bidding Process. — (1) Subject to the provisions of rule 5, the administering authority shall issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the mineral block under auction, including, —

- (a) particulars of the mineral block for which a production lease is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block;
- (b) estimated mineral resources and brief particulars regarding existence of mineral resources with respect to all minerals discovered in the mineral block during exploration in accordance with the provisions of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024.

(2) The tender document issued by the administering authority shall contain, —

- (a) geological report pursuant to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 specifying particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the mineral block;
- (b) particulars of the mineral block identified by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block; and
- (c) particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the mineral block at the time of auction.

(3) The bidders shall be provided a fixed period, as specified in the tender document, to study the tender document and such reports and the bidding process shall commence only on expiry of such period.

(4) The auction shall be an ascending forward online electronic auction and shall comprise of attempts of auction with each attempt of auction consisting of a first round of auction and a second round of auction.

(5) In the first round of auction, the bidders shall submit, —

- (a) a technical bid comprising amongst others, documentary evidence to confirm eligibility as per the provisions of the Act and the rules made thereunder to participate in the auction, bid security and such other documents and payments as may be specified in the tender document; and
- (b) an initial price offer which shall be a percentage of value of mineral dispatched:

Provided that bid security shall be for an amount equivalent to 0.25 per cent. of the value of estimated resources or ten crore rupees, whichever is lower, and shall be submitted by way of a security instrument:

Provided further that in auction for grant of composite licence for the mineral block having such type of deposit whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the mineral block has been identified based on the existing geoscience data, the bid security shall be five lakh rupees per standard block:

Provided also that in case the area proposed by a person under sub-rule (2) of rule 5 of

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

35

the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 is put up for auction to grant a composite licence, such person shall be required to submit the bid security of only fifty per cent. of the amount specified in this clause for participating in the auction for the said area.

- (6) Only those bidders who are found to be eligible in accordance with the terms and conditions of eligibility specified in rule 6 and whose initial price offer is equal to or greater than the reserve price, referred to as “technically qualified bidders”, shall be considered for the second round of auction.
- (7) The highest initial price offer amongst the technically qualified bidders shall be the floor price for the second round of online electronic auction.
- (8) The technically qualified bidders shall be ranked on the basis of the descending initial price offer submitted by them and the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of the ranks (with any fraction rounded off to higher integer) or the top five technically qualified bidders, whichever is higher, shall qualify as qualified bidders for participating in the second round of electronic auction:

Provided that if the number of technically qualified bidders is between three and five, then all the technically qualified bidders shall be considered as qualified bidders:

Provided further that in the event of identical initial price offers being submitted by two or more technically qualified bidders, all such technically qualified bidders shall be assigned the same rank for the purposes of determination of qualified bidders and in such case, the aforementioned fifty per cent. shall stand enhanced to the extent of tie occurring within the first fifty per cent.

Illustration

In the event there are a total of ten technically qualified bidders, and each technically qualified bidder submits different initial price offer, then the technically qualified bidders holding the first fifty per cent. of ranks shall be considered to be qualified bidders.

If three such technically qualified bidders submit the same initial price offer and are ranked in first fifty per cent. of the total number of ranks, then, all the three technically qualified bidders shall be considered to be qualified bidders and the total number of qualified bidders shall stand increased by two.

- (9) Where the total number of technically qualified bidders is three or more, the auction process shall proceed to the second round of auction which shall be held in the following manner, namely: —

- (a) The qualified bidders may submit their final price offer which shall be a percentage of value of mineral dispatched and greater than the floor price:

Provided that the final price offer may be revised till the conclusion of the auction as per the technical specifications of the auction platform;

- (b) The auction process shall be annulled if none of the qualified bidders submits a final price offer on the online electronic auction platform;

- (c) The qualified bidder who submits the highest final price offer shall, subject to receipt of approval from the Central Government, be declared as the “preferred bidder”, immediately on conclusion of the auction.

(10) Where the total number of technically qualified bidders is less than three, then no technically qualified bidder shall be considered to be qualified bidder and the first attempt of auction shall be annulled.

(11) On annulment of the first attempt of auction, the administering authority may decide to, —

- (a) commence the auction process de novo with a separate set of terms and conditions and reserve price as it may deem fit and necessary; or
(b) conduct the second attempt of auction.

(12) In case the administering authority decides to conduct the second attempt of auction as per clause (b)

of sub-rule (11), the terms and conditions of the second attempt of auction shall remain the same as in



the first annulled attempt of auction:

Provided that the highest initial price offer of the technically qualified bidders (if any) in the first

annulled attempt shall be the reserve price in first round of the second attempt:

Provided further that the bidding shall continue to the second round even in case the number of

technically qualified bidders is less than three and even in case of a single technically qualified bidder.

(13) Upon the annulment or failure of the second attempt of auction, the administering authority may, after

obtaining the approval of the Central Government, commence the auction process de novo with a

separate set of terms and conditions and reserve price as it may deem fit necessary.

10. Grant of Production Lease. — (1) The preferred bidder shall submit the first instalment of the upfront

payment as per rule 11 within fifteen days after being declared as preferred bidder:

Provided that the administering authority may, for reasons to be recorded in writing extend the period

of fifteen days by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the first instalment of the upfront amount within the period

or extended period specified in sub-rule (1), the administering authority shall, —

(a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and

(b) offer the bidder who had submitted the second-highest price offer in the second round of

auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agrees to the said offer

in writing and submit the first instalment of upfront amount within fifteen days of receipt

of offer, the administering authority shall, subject to receipt of approval from the Central

Government, declare the said bidder as the preferred bidder and issue a letter of intent in

accordance with sub-rule (3):

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days referred to in this clause by further fifteen days.

(3) Upon receipt of the first instalment of the upfront payment, the administering authority shall issue a

letter of intent to the preferred bidder within fifteen days of receipt of first instalment of upfront

payment.

(4) The preferred bidder shall be considered to be the “successful bidder” upon, —

(a) continuing to be in compliance with all the terms and conditions of eligibility;

(b) payment of the second instalment of the upfront payment;

(c) furnishing performance security as specified in rule 12;

- (d) satisfying the conditions specified in the rules framed under the Act with respect to a
production plan; and
- (e) satisfying such other conditions as may be specified by the administering authority with
prior approval of the Central Government.

(5) The successful bidder shall sign the Offshore Mineral Development and Production Agreement with

the Central Government upon obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like

as may be required under applicable laws for commencement of production operations.

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

37

(6) The successful bidder shall pay the third instalment of the upfront payment subsequent to execution of the Offshore Mineral Development and Production Agreement, and upon such payment the Central Government shall grant a production lease to the successful bidder.

(7) The production lease deed shall be executed by the Central Government within a period of thirty days of the date of completion of the conditions specified in sub-rule (6) and shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder:

Provided that no production lease deed shall be executed on expiry of a period of three years from the date of the letter of intent, and the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the administering authority with approval of the Central Government may allow a further period of two years for execution of the production lease deed if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(8) The holder of the letter of intent shall comply with all the requirements to execute the production lease deed within the period referred to in sub-rule (7), failing which, the letter of intent shall be revoked and the bid security or the performance security, as the case may be, and any instalment of upfront payment paid shall be forfeited, and the preferred bidder or successful bidder may be debarred by the Central Government from participating in the future auction of mineral blocks conducted under the provisions of these rules, for three years from the date of such debarment.

(9) The production lease shall be for minerals found in the mineral block pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where, subsequent to the auction, one or more new minerals are discovered, then the holder of production lease shall follow the provisions of the rules framed under the Act for inclusion of such new mineral in the production lease deed.

(10) The date on which a duly executed production lease deed is registered shall be the date of commencement of the production lease.

11. Upfront payment for production lease. — (1) An amount equal to, lower of: (i) 0.25 per cent. of the value of estimated resources;

(ii) fifty crore rupees, shall be the upfront payment.

(2) The upfront payment shall be payable to the Central Government in three instalments of ten per cent.; ten per cent.; and eighty per cent. as specified in the tender document and shall be adjusted in full at the earliest against the amount to be paid under sub-rule (3) of rule 8 on commencement of production of mineral as specified in the tender document.

12. Performance security for production lease. — (1) The preferred bidder shall provide a performance security by way of a security instrument of an amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the value of estimated resources; (ii) one hundred crore rupees. Such performance security shall be adjusted every five

years so that it continues to correspond to the required amount (i.e., 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources or one hundred crore rupees as the case may be) including the value of any newly discovered mineral that may be included in the production lease deed on its discovery:

Provided that the adjusted performance security on reassessment shall, at all times, be not less than one crore rupees per standard block.

(2) The performance security may be invoked as per the provisions of, —

- (i) the Offshore Mineral Development and Production Agreement; and
- (ii) the Production Lease Deed.

13. Payments under production lease. — (1) The lessee shall pay royalties in accordance with section 16 and fixed rent in accordance with section 17 to the Central Government as specified in the Act and the rules made thereunder.

(2) The lessee shall pay the applicable amount quoted under rule 8 to the Central Government on a monthly basis.

(3) The lessee shall contribute such amounts as may be required under the Act to, —

- (a) the designated account of the Offshore Areas Mineral Trust; and
- (b) the designated account of the Central Government for the contribution towards the International Seabed Authority in accordance with section 18.

(4) The lessee shall also pay such other amounts as may be required under any law for the time being in force to the concerned authorities.

14. Payment of Interest. — The lessee or preferred bidder or successful bidder, as the case may be, shall pay simple interest at the rate of twelve per cent. per annum on any payment due to Central Government under these rules, the payment of which is delayed beyond the due date thereof.

15. Time Period. — The time period for compliance of rules 10 to 14 shall be as specified in the tender document.

CHAPTER III

GRANT OF COMPOSITE LICENCE

16. Prerequisites for auction of composite licence. — (1) The administering authority may initiate an auction process for grant of a composite licence with respect to an area in accordance with section 12 and this Chapter subject to the condition that the requirements of rule 5 of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 have been complied with.

(2) The administering authority shall, prior to issuance of the notice inviting tender with respect to auction and with the prior approval of the Central Government, identify the mineral block for which a composite licence is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block.

17. Auction for composite licence. — The eligibility conditions and auction process as specified in rules 6 to 9 shall be applicable for conduct of auction for grant of a composite licence subject to the following, namely: —

(a) the administering authority shall subject to compliance of rule 16, issue a notice inviting tender, including on their website, to commence the auction process and such notice shall contain brief particulars regarding the area under auction, including, —

- (i) particulars of the mineral block for which a composite licence is proposed to be granted through auction by specifying the latitude and longitude of the boundary corners of such mineral block;
- (ii) estimated mineral resources and brief particulars regarding the existence of mineral resources in the mineral block during exploration in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;

(b) the tender document issued by the administering authority, shall contain, geological report specifying,

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

39

- (i) particulars and estimated quantities of all minerals discovered in the area during exploration pursuant to Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024;
- (ii) details of the area identified; and
- (iii) particulars of any licence or lease granted by any government authority, including in relation to petroleum and natural gas or wind power project, or any infrastructure projects such as port, cable, pipeline in existence in the mineral block at the time of auction.

18. Grant of composite licence. — (1) Upon completion of the auction process, the preferred bidder shall submit a performance security in the manner specified in sub-rule (1) of rule 19 within fifteen days after being declared as preferred bidder and upon receipt of such performance security, the administering authority shall issue a letter of intent to the preferred bidder within fifteen days of receipt of performance security:

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days for submission of performance security by further fifteen days.

(2) In case the preferred bidder fails to submit the performance security within the period or extended period specified in sub-rule (1), the administering authority shall, —

- (a) forfeit the bid security of the preferred bidder; and
- (b) offer the bidder who had submitted second-highest price offer in the second round of auction to meet the highest final price offer and if the said bidder agrees to the said offer in writing and submits the performance security within fifteen days of receipt of offer, the administering authority shall, subject to receipt of approval from the Central Government, declare the said bidder as the preferred bidder and issue letter of intent in accordance with sub-rule (1):

Provided that the administering authority may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of fifteen days by further fifteen days.

(3) On receipt of the letter of intent, the preferred bidder shall be considered to be the “successful bidder” upon fulfilment of the following conditions, namely: —

- (a) compliance with all the terms and conditions of eligibility;
- (b) obtaining all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of exploration operations; and
- (c) submitting the exploration plan.

(4) Upon fulfilment of the conditions specified in sub-rule (3), the Central Government shall grant a composite licence to the successful bidder and such composite licence shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder, as applicable to the composite licence and production lease:

Provided that on expiry of a period of one year from the date of the letter of intent, if no Exploration Licence Deed of Composite Licence is executed then the letter of intent shall be invalidated leading to annulment of the entire process of auction:

Provided further that the administering authority may allow a further period of six months for execution of the Exploration Licence Deed of Composite Licence, if the reasons for delay were beyond the control of the preferred bidder.

(5) The holder of a composite licence shall conduct exploration operations of the area under the composite licence so as to ascertain existence of mineral resources and shall submit periodic

reports in accordance with the Act and the rules made thereunder, as applicable to exploration operations and all reports,

studies and other documentation related to the exploration operations of the area under the composite licence shall be submitted to the Indian Bureau of Mines and administering authority.

(6) If a holder of a composite licence, —

- (a) fails to complete exploration operations in accordance with sub-section (3) of section 12 or fails to establish the existence of mineral resources in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, or fails to comply with the terms and conditions of the composite licence or the requirements of the Act and the rules prescribed thereunder such holder shall not be eligible to receive a production lease and the composite licence shall be terminated;
- (b) completes exploration operations and submits to the Indian Bureau of Mines and the administering authority the result of the exploration operations in the form of a geological report resulting in determination of existence of mineral resources conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024; specifying the area required for grant of a production lease and makes an application to the administering authority in terms of the rules framed under the Act for grant of a production lease accompanied by first instalment of the upfront payment as specified in rule 11;

(7) Upon receipt of the application submitted under and on being satisfied with the existence of mineral resources in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 and the licensee being in compliance with the terms of the composite licence and the Act including the terms of sub-section (6) of section 12, the administering authority shall make a recommendation to the Central Government for grant of a production lease to the licensee and upon receipt of approval of the Central Government, the administering authority shall issue a letter of intent for production lease:

Provided that any excess area shall be surrendered by the holder of composite licence in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder:

Provided further that after submission of the geological report prepared in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, the holder of composite licence may relinquish the entire area in accordance with the rules framed under the Act and in such case the administering authority shall, after being satisfied that the geological report has been prepared conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, return the performance security.

(8) The Offshore Mineral Development and Production Agreement shall be executed between the Central Government and the holder of composite licence if the holder of a composite licence—

- (a) continues to comply with the terms and conditions of eligibility;
- (b) pays the second instalment being ten per cent. of the upfront payment;
- (c) furnishes the enhanced performance security as specified in sub-rule (2) of rule 19;
- (d) satisfies the conditions specified in the rules framed under the Act with respect to a production plan;
- (e) obtains all consents, approvals, permits, no-objections and the like as may be required under applicable laws for commencement of production operations; and
- (f) satisfies such other conditions as may be specified by the administering authority.

(9) The holder of the composite licence shall pay the third instalment being eighty per cent. of the upfront payment, subsequent to execution of the Offshore Mineral Development and Production Agreement,

and upon such payment, the Central Government shall execute a Production Lease Deed with the holder of the composite licence within a period of thirty days of payment of the third instalment:

Provided that no production lease deed shall be executed on expiry of a period of three years from the date of the letter of intent (granted under sub-rule (7) of rule 18 above), and the letter of intent shall be invalidated:

Provided further that the administering authority with approval of the Central Government may allow a further period of two years for execution of the production lease deed if the reasons for delay were beyond the control of the licensee.

(10) The production lease shall be subject to the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(11) The production lease shall be for minerals found in the area covered by the composite licence pursuant to exploration prior to the auction:

Provided that where subsequent to the auction, one or more new minerals are discovered then the holder of the production lease shall follow the provisions of the rules framed under the Act for inclusion of such new mineral in the production lease deed.

(12) The date on which a duly executed production lease deed is registered shall be the date of commencement of the production lease.

19. Performance Security for composite licence. — (1) An amount being lower of: (i) 0.25 per cent. of the value of estimated resources; (ii) fifty crore rupees, shall be payable or provided by the preferred bidder or licensee, as the case may be, as performance security prior to the issuance of the composite licence:

Provided that for the mineral block having such type of deposit as specified whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the performance security shall be one crore and fifty lakh rupees.

(2) The amount of performance security shall be revised, prior to the issuance of the production lease, to an amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the value of estimated resources established by the holder of the composite licence after completion of exploration operations in accordance with the provision of sub-section (3) and (5) of section 12 resulting in determination of existence of mineral resources conforming to the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 (ii) one hundred crore rupees.

(3) The performance security specified under sub-rule (2) shall be adjusted in every five years so that it continues to correspond to amount being lower of: (i) 0.50 per cent. of the reassessed value of estimated resources; (ii) one hundred crore rupees, as the case may be:

Provided that the adjusted performance security shall not be less than one crore rupees per standard block.

(4) The performance security provided by way of security instrument may be invoked as per the provisions

of the, —

- (i) Exploration Licence Deed of Composite Licence; or
- (ii) Offshore Mineral Development and Production Agreement; or
- (iii) the Production Lease Deed:

Provided that the administering authority on being satisfied that the holder of composite licence has completed exploration operations in accordance with sub-section (3) and (5) of section 12 but is unable to establish the existence of mineral resources even after making all

possible efforts in accordance with the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, shall return the performance security provided by the holder of the composite licence:

Provided further that in case the holder of composite licence fails to complete exploration operations in accordance with sub-section (3) and (5) of section 12, the performance security provided by it shall be forfeited.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. Power to rectify apparent errors. — Any clerical or arithmetical error in any order passed by the Central Government or any authority or officer under these rules and any error arising therein due to accidental slip or omission, may be corrected by the Central Government, the concerned authority or officer, as the case may be:

Provided that no rectification order prejudicial to any person shall be passed unless such person has been given a reasonable opportunity of being heard.

21. Special provisions relating to minerals specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957). — (1) Notwithstanding anything contained in these rules—

(a) if the holder of a composite licence or production lease discovers any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in the area granted under such licence or lease, the discovery of such mineral shall be reported to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad within sixty days from the date of discovery of such mineral;

(b) the licensee or lessee shall not win or dispose of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify;

(c) the quantities of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, recovered incidental to such exploration or production operations shall be collected and stacked separately and a report to that effect shall be sent to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad every month for such further action by the licensee or lessee as may be directed by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(2) The licensee or lessee referred to in sub-rule (1) shall, within a period of sixty days from the date of discovery of any mineral specified in Part B of the First Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) of a grade equal to or greater than such threshold value as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify, apply to the Secretary, Department of Atomic Energy, Mumbai, through the administering authority, for grant of a licence to handle such minerals under the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder and the Department of Atomic Energy shall intimate to the administering authority regarding issue of the licence in this regard.

22. Exploration Obligation. — The holder of a production lease shall complete detailed exploration (level exploration) and prepare a detailed feasibility study report conforming to Part IV and V of the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024 over the entire area under the

production lease, within a period of five years from the date of commencement of such production lease.

[भागII—खण् ड3(i)]

भारत का रािपत्र : असाधारण

43

23. When day of completion of any requirement is a public holiday. — When the day of completion of any requirement under these rules is falling due on a public holiday, the day of completion shall be deemed to be due on the next successive working day.

Explanation. — *The expression “public holiday” includes Saturday, Sunday and any other day declared to be a public holiday by the Central Government.*



SCHEDULE I**Terms and conditions of eligibility**

[See rule 6]

1. The following net worth requirements shall be applicable for an auction of production lease depending on the value of estimated resources, namely: —

(a) If the value of estimated resources is equal to or more than one thousand crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 2 per cent. of value of estimated resources.

(b) If the value of estimated resources is less than one thousand crore rupees but more than one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 1 per cent. of value of estimated resources.

(c) If the value of estimated resources is less than or equal to one hundred crore rupees, the applicant, including an individual, shall have a net worth more than 0.5 per cent. of value of estimated resources:

Provided that the net worth requirement shall not exceed one hundred crore rupees.

2. In case of auction of composite licence, the applicant shall have a net worth of more than 1 per cent. of the value of estimated resources and where the value of estimated resources is equal or less than one hundred crore rupees, the applicant must have a net worth more than 0.5 per cent. of value of estimated resources:

Provided that the net worth requirement shall not exceed fifty crore rupees:

Provided that for the mineral block having such minerals, whose estimated quantity of mineral resources is not possible to be assessed for calculating the value of estimated resources under clause (o) of sub-rule (1) of rule 2, but the mineral potentiality of the block has been identified based on the existing geoscience data, the applicant shall have a net worth more than or equal to twenty-five crore rupees.

Explanation. —

(1) In case an applicant is a subsidiary of another company incorporated in India, the networth of such holding company may also be considered:

Provided that, in such case, the applicant shall continue to be a subsidiary of such holding company until such time the applicant meets the aforementioned networth threshold.

(2) In case of a company, the net worth shall be the sum of paid up share capital and the free reserves as per the audited balance sheet of the financial year ended immediately preceding the date of issuance of notice inviting tender.

(3) In case the notice inviting tender is issued between 1st April to 30th September (both days inclusive) of a year, the audited balance sheet of the financial year before the immediately preceding financial year, from the date of issuance of notice inviting tender, may be submitted by the bidder, if the audited balance sheet of the immediately preceding financial year is not available.

(4) In case of an individual, the net worth shall be the closing cash balance on the last date for submission of application, and such amount may include amount in savings bank accounts in Scheduled Bank or Post Office, free and un-encumbered fixed deposits in Scheduled Banks, Post Office, Listed Companies or Government organisation or Public Sector Undertakings of a State and the Central Government, Kisan Vikas Patra, National Saving certificate, Bonds and Shares of Listed Companies, Listed Mutual Funds, Unit Linked Insurance Plan, Public Provident Fund,

Surrender Value of Life Insurance policies, and un-encumbered immovable property in the name of Applicant.



SCHEDULE II**Format of Performance Security for Production Lease**

[See rule 12]

[Reference number of the bank]

[date] To

The President of India

[address]

WHE**REAS**

A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the “Preferred Bidder”) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid until [date of expiry of performance bank guarantee] (“Expiry Date”).

Provided that any reference to the Preferred Bidder shall mean the Successful Bidder upon fulfilment of the conditions of sub-rule (4) of rule 10 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

B. The Performance Security is required to be provided to the President of India represented by the Ministry of Mines, Government of India (“Central Government”) for discharge of certain obligations under the tender document dated [date] with respect to auction of [particulars of auction], Offshore Mineral Development and Production Agreement to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and the Production Lease Deed to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder (collectively the “Agreement”).

C. We, [name of the bank] (the “Bank”) at the request of the Preferred Bidder do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“Guarantee Amount”) to secure the obligations of the Successful Bidder under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the “Guarantee”) on behalf of the Successful Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the Central Government, a sum or sums (by way of one or more claims) not

[भागII—खण्ड3(i)]

भारत का राष्ट्रपति : असाधारण

45

exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Successful Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the Successful Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank’s liability under this present being absolute and unequivocal.

2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Successful Bidder to the Central Government under the Agreement.

3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Successful Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Successful Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.
4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:
 - (i) Vary and/or modify any of the terms and conditions of the Agreement;
 - (ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Successful Bidder under the Agreement, or
 - (iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Successful Bidder under the terms and conditions of the Agreement.

And the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Successful Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.
5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Successful Bidder.
7. The Bank further agrees that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that is specified in the Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the Successful Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government or till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Successful Bidder and accordingly discharges this guarantee. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at New Delhi, India.
10. The Bank represents that it has the authority and power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.
11. The Bank undertakes not to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Central Government in writing.
12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President. Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,
 - a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount.
 - b. this bank guarantee shall be valid upto the Expiry Date.

14. The Bank is liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp.

(Signature)

(Name and Designation) (Bank Stamp)

[भागII—खण् 3(i)]

भारत का र्पित्र : असाधारण

47



SCHEDULE III**Format of Performance Security for Composite Licence**

[See rule 19]

[Reference number of the bank] [date]

To

The President of India

[address]

WHEREAS

- A. [Name of the Preferred Bidder] incorporated in India under the Companies Act, [2013] with corporate identity number [CIN of the Preferred Bidder], whose registered office is at [address of registered office], India and principal place of business is at [address of principal place of business, if different from registered office] OR [Name of individual] who is citizen of India, having income tax permanent account number [number], residing at [address] OR [partnership firm/association of individuals], all members of whom are Indian citizens and residents of India whose principal place of business is at [address of principal place of business] (the “Preferred Bidder”) is required to provide an unconditional and irrevocable bank guarantee for an amount equal to INR [figures] (Indian Rupees [words]) as a performance security valid for an initial period of [●]([●]) years from the date hereof

(“Expiry Date”).

Provided that any reference to the Preferred Bidder shall mean the Successful Bidder upon fulfilment of

the conditions of sub-rule (3) of rule 18 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024.

- B. The Performance Security is required to be provided to the President of India, represented by the Ministry of Mines, Government of India (“Central Government”) for discharge of certain obligations under the Tender Document dated [date] with respect to auction of [particulars of auction] and Exploration Licence Deed of Composite Licence to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and Offshore Mineral Development and Production Agreement to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder and the Production Lease Deed to be executed between the Central Government and the Preferred Bidder (collectively the “Agreement”).
- C. We, [name of the bank] (the “Bank”) at the request of the Preferred Bidder or Successful Bidder do hereby undertake to pay to the Central Government an amount not exceeding INR [figures] (Indian Rupees [words]) (“Guarantee Amount”) to secure the obligations of the Preferred Bidder or Successful Bidder under the Agreement on demand from the Central Government on the terms and conditions herein contained herein.

NOW, THEREFORE, the Bank hereby issues in favour of the Central Government this irrevocable and unconditional payment bank guarantee (the “Guarantee”) on behalf of the Preferred Bidder in the Guarantee Amount:

1. The Bank for the purpose hereof unconditionally and irrevocably undertakes to pay to the Central Government without any demur, reservation, caveat, protest or recourse, immediately on receipt of first written demand from the State, a sum or sums (by way of one or more claims) not exceeding the Guarantee Amount in the aggregate without the Central Government needing to prove or to show to the Bank grounds or reasons for such demand for the sum specified therein and notwithstanding any dispute or difference between the Central Government and Preferred Bidder on any matter whatsoever. The Bank undertakes to pay to the Central Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the or Preferred Bidder in any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto the Bank’s liability under this present being absolute and unequivocal.
2. The Bank acknowledges that any such demand by the Central Government of the amounts payable by the Bank to the Central Government shall be final, binding and conclusive evidence in respect of the amounts payable by Preferred Bidder to the Central Government under the Agreement.
3. The Bank hereby waives the necessity for the Central Government from demanding the aforesaid amount or any part thereof from the Preferred Bidder and also waives any right that the Bank may have of first requiring the Central Government to pursue its legal remedies against the Preferred Bidder, before presenting any written demand to the Bank for payment under this Guarantee.

4. The Bank further unconditionally agrees with the Central Government that the Central Government shall be at liberty, without the Bank's consent and without affecting in any manner the Bank's obligation under this Guarantee, from time to time to:
- i) vary and/or modify and of the terms and conditions of the Agreement;
 - ii) extend and / or postpone the time for performance of the obligations of the Preferred Bidder under the Agreement, or
 - iii) forbear or enforce any of the rights exercisable by the Central Government against the Preferred Bidder under the terms and conditions of the Agreement,
- and the Bank shall not be relieved from its liability by reason of any such act or omission on the part of the Central Government or any indulgence by the Central Government to the Preferred Bidder or other thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have the effect of relieving the Bank of its obligations under this Guarantee.
5. Any payment made hereunder shall be made free and clear of and without deduction for, or on account of, any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever.
6. The Bank agrees that Central Government at its option shall be entitled to enforce this Guarantee against the Bank, as a principal debtor in the first instance without proceeding at the first instance against the Preferred Bidder.
7. The Bank further agrees that this bank guarantee and the guarantee obligations herein contained shall remain in full force and effect and shall continue to be enforceable till: (i) all the obligations of the Preferred Bidder under or by virtue of the said Agreement with respect to the Performance Security have been fully paid and its claims satisfied or discharged to the satisfaction of the Central Government; or (ii) till the Central Government certifies that the terms and conditions of the Agreement with respect to the Performance Security have been fully and properly carried out by the Preferred Bidder and accordingly discharges this guarantee; or (iii) on provision of a revised performance security under sub-rule (2) of rule 19 of the Offshore Areas Mineral (Auction) Rules, 2024 whichever is later. Notwithstanding anything contained herein, unless a demand or claim under this guarantee is made on the Bank in writing on or before the Expiry Date the Bank shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.
8. The payment so made by the Bank under this Guarantee shall be a valid discharge of Bank's liability for payment thereunder and no person shall have any claim against the Bank for making such payment.
9. This Guarantee is subject to the laws of India. Any suit, action, or other proceedings arising out of this Guarantee or the subject matter hereof shall be subject to the exclusive jurisdiction of courts at New Delhi, India.

[भागII—खण्ड 3(i)]

भारत का राष्ट्रिय : असाधारण

49

10. The Bank has the power to issue this Guarantee in favour of the Central Government. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank.
11. The Bank represents that it has the authority and power to revoke this Guarantee during its currency except with the previous consent of the Central Government in writing.
12. The Central Government may, with prior intimation to the Bank, assign the right under this Guarantee to any other departments, ministries or any governmental agencies, which may act in the name of the President.
- Save as provided in this Clause 12, this Guarantee shall not be assignable or transferable.
13. Notwithstanding anything contained herein,
- a. the liability of the bank under this bank guarantee shall not exceed the Guarantee Amount; and
 - b. this bank guarantee shall be valid up to the Expiry Date.
14. The Bank is liable to pay the Guaranteed Amount or any part thereof under this bank guarantee only and only if the Central Government serves upon the Bank a written claim or demand on or before the Expiry Date.

Dated the [day] day of [month] [year] for the Bank.

In witness whereof the Bank, through its authorised officer, has set its hand and stamp. _____

(Signature)

(Name and Designation)

(Bank Stamp).

[F. No. M.VI-1/7/2023-Mines-VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New
Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SRIVASTAVA
Digitally signed by SRIVASTAVA

SRVESH KUMAR
Date: 2024.04.24 10:45:40 +05'30'

